कानपुर नगर निगम

नगर निगम (मा0सदन) की दिनांक 05.12.2018

दिन बुधवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे

सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

स्थानः नगर निगम सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/213/सचिव (न0नि0)/2018–19 दिनांक :– 29-12-2018

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री..........................

पार्षद वार्ड सं0.........../पदेन सदस्य

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 सदन की दिनांक 05.12.2018 दिन बुधवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :–
कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 77 तक।

29/12/18
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–
1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक– 05.12.2018 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय महापौर/अध्यक्ष
2. श्री रमेश चन्द्र पार्षद/सदस्य
3. श्री शैलेश पार्षद/सदस्य
4. श्री शरद कुमार सोनकर पार्षद/सदस्य
5. कु0 लक्ष्मी पार्षद/सदस्य
6. श्रीमती रीता पासवान पार्षद/सदस्य
7. श्रीमती मोहिनी कनौजिया पार्षद/सदस्य
8. श्री गिरीश चन्द्र पार्षद/सदस्य
9. श्री संदीप पार्षद/सदस्य
10. श्रीमती आरती गौतम पार्षद/सदस्य
11. श्री अवनीश खन्ना पार्षद/सदस्य
12. श्रीमती संगीता बाली पार्षद/सदस्य
13. श्री अजीत पार्षद/सदस्य
14. श्री मदन बाबू पार्षद/सदस्य
15. श्री सुनील कुमार कनौजिया पार्षद/सदस्य
16. श्री सौरभ देव पार्षद/सदस्य
17. श्री राकेश कुमार पार्षद/सदस्य
18. श्रीमती रचना त्रिपाठी पार्षद/सदस्य
19. श्री प्रदीप मिश्रा पार्षद/सदस्य
20. श्रीमती राधा देवी पार्षद/सदस्य
21. श्रीमती मधु मिश्रा पार्षद/सदस्य
22. श्रीमती शीला पाण्डेय पार्षद/सदस्य
23. श्री संजय यादव पार्षद/सदस्य
24. श्री गोपाल गुप्ता पार्षद/सदस्य
25. श्रीमती कविता सिंह पार्षद/सदस्य
26. श्रीमती विजय लक्ष्मी पार्षद/सदस्य
27. श्रीमती निर्मला मिश्रा पार्षद/सदस्य
28. श्रीमती मोहिनी शुक्ला पार्षद/सदस्य
29. श्री शरद प्रकाश मिश्रा पार्षद/सदस्य
30. श्रीमती ऊषा मिश्रा पार्षद/सदस्य
31. श्रीमती रीता कुशवाहा पार्षद/सदस्य
32. श्री रमेश बाजपेई पार्षद/सदस्य
33. श्री घनश्याम गुप्ता पार्षद/सदस्य
34. कु0 विधि राजपाल पार्षद/सदस्य
35. श्रीमती अंजू मिश्रा पार्षद/सदस्य
36. श्री अशोक पाल पार्षद/सदस्य
37. श्रीमती नमिता मिश्रा पार्षद/सदस्य
38. श्री मुकेश पार्षद/सदस्य
39. श्री मनोज कुमार राठौर पार्षद/सदस्य
40. श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' पार्षद/सदस्य
41. श्री राज कुमार राजपूत पार्षद/सदस्य
42. कु0 कीर्ति अग्निहोत्री पार्षद/सदस्य
43. श्रीमती नेहा यादव पार्षद/सदस्य
44. श्री विजय कुमार पार्षद/सदस्य
45. श्री दिनेश तिवारी पार्षद/सदस्य
46. श्रीमती प्रभा सिंह चौहान पार्षद/सदस्य

ह0.............महापौर

47. श्री अश्वनी कुमार चढ्ढा पार्षद/सदस्य
48. श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला पार्षद/सदस्य
49. श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू' पार्षद/सदस्य
50. श्रीमती नीतू मिश्रा पार्षद/सदस्य
51. श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी पार्षद/सदस्य
52. श्री सुमित कुमार पाल पार्षद/सदस्य
53. श्री विजय यादव पार्षद/सदस्य
54. श्री अनिल वर्मा पार्षद/सदस्य
55. श्री नूर आलम पार्षद/सदस्य
56. श्रीमती सोनी सिंह पार्षद/सदस्य
57. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय पार्षद/सदस्य
58. श्री जितेन्द्र पार्षद/सदस्य
59. श्री कमल शुक्ल 'बेबी' पार्षद/सदस्य
60. श्री सौरभ तिवारी पार्षद/सदस्य
61. श्री दुर्गा प्रसाद पार्षद/सदस्य
62. श्री नीरज बाजपेई पार्षद/सदस्य
63. श्रीमती सीमा सचान पार्षद/सदस्य
64. श्रीमती यशोदा देवी पार्षद/सदस्य
65. श्रीमती दीपा पार्षद/सदस्य
66. श्रीमती शकुन्तला देवी पार्षद/सदस्य
67. श्री अरविन्द यादव पार्षद/सदस्य
68. श्रीमती चन्द्रावती पार्षद/सदस्य
69. श्री लियाकत अली पार्षद/सदस्य
70. श्री जय प्रकाश पाल पार्षद/सदस्य
71. श्रीमती शाहिबा परवीन पार्षद/सदस्य
72. श्री राजीव सेतीया पार्षद/सदस्य
73. श्री मनोज कुमार पाण्डेय पार्षद/सदस्य
74. श्री अमित कुमार मेहरोत्रा पार्षद/सदस्य
75. श्री यशपाल सिंह पार्षद/सदस्य
76. श्री विकास जायसवाल पार्षद/सदस्य
77. श्री हरि शंकर गुप्ता पार्षद/सदस्य
78. श्रीमती शशी साहू पार्षद/सदस्य
79. श्री सन्तोष साहू पार्षद/सदस्य
80. श्री रशीद आरफी पार्षद/सदस्य
81. श्रीमती अल्पना जायसवाल पार्षद/सदस्य
82. श्री अमनदीप सिंह गम्भीर पार्षद/सदस्य
83. श्रीमती सुमन त्रिवेदी पार्षद/सदस्य
84. श्रीमती मेनका सिंह सेंगर पार्षद/सदस्य
85. श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद/सदस्य
86. श्रीमती सायमा परवीन पार्षद/सदस्य
87. श्री गुरू नारायण गुप्ता पार्षद/सदस्य
88. श्री राघवेन्द्र मिश्रा पार्षद/सदस्य
89. श्री प्रमोद जायसवाल पार्षद/सदस्य
90. श्री नवीन पण्डित पार्षद/सदस्य
91. श्री आमोद त्रिपाठी पार्षद/सदस्य
92. श्रीमती जरीना खातून पार्षद/सदस्य
93. श्री मो0 अमीम पार्षद/सदस्य
94. श्री दीपक शर्मा पार्षद/सदस्य
95. श्री कौसर अली पार्षद/सदस्य
96. श्री योगेन्द्र सिंह पार्षद/सदस्य

ह0..............महापौर

97. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य
98. श्रीमती शाहीन खातून	पार्षद / सदस्य
99. श्री मन्नू रहमान	पार्षद / सदस्य
100. श्री अनुज गुप्ता	पार्षद / सदस्य
101. श्री शिवम दीक्षित	पार्षद / सदस्य
102. श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य
103. श्रीमती शबनम बानों	पार्षद / सदस्य
104. श्री इरफान सोलंकी	मा0 विधायक / पदेन सदस्य
105. श्री दिलीप सिंह यादव	मा0 वि0परि0स0 / पदेन सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री संतोष कुमार शर्मा	नगर आयुक्त
2. श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
3. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4. श्री रमेश कुमार निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5. श्री रमेश कुमार भाटी	प्रभारी मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
6. डॉ0 अमित सिंह गौर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी 'चि0'
7. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'

राष्ट्रीयगीत (वंदे मातरम्) गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

नगर आयुक्त ने सर्वप्रथम सदन सभागार में प्रतिभाग कर रहे सभी सदस्यों, पत्रकार एवं छायाकार बन्धुओं का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' को निर्देशित किया, जिस पर सभी सदस्यों ने कार्यसूची पर विचार किये जाने के पूर्व शहर की समस्याओं एवं अन्य विषयों पर चर्चा करने का अध्यक्ष महोदया से अनुरोध किया। तद्नुसार अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को क्रमशः अपने–अपने विचार व्यक्त करने के निर्देश दिये।

श्री महेन्द्र शुक्ला ने पूछा कि पार्षद व कर्मचारियों के मध्य जो विवाद हुआ था, उस पर यदि जाँच कार्यवाही की गई है, तो उससे सदन के सदस्यों को अवगत कराया जाये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि नगर निगम, कानपुर में कर्मचारियों की कई यूनियनें है, जिनमें से अधिकतर रजिस्टर्ड नही है और सभी यूनियनें नगर निगम परिसर में कार्यालय बनाकर अवैध रूप से काबिज है। अतः अध्यक्ष महोदया मेरा आपसे अनुरोध है कि लखनऊ व प्रयागराज नगर निगम की भाँति कर्मचारियों के मध्य निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी यूनीयन के पदाधिकारियों का निर्धारण किया जाये, जिससे कानपुर नगर निगम में एक पंजीकृत यूनियन हो सके। अवस्थाना निधि एवं योजनओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन से प्रदत्त धनराशि में महापौर को अध्यक्ष बनाया जाये, इससे सम्बन्धित तीन प्रस्ताव हस्तगत करते हुये, उन्हें स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

ह0..............महापौर

हैण्डपम्प अधिष्ठापित नही कराये गये है, जबकि पिछली कार्यकारिणी समिति की बैठक में महाप्रबन्धक, जलकल द्वारा 10 दिन में प्रत्येक वार्ड में हैण्डपम्प लगवाये जाने हेतु आश्वस्त किया गया था। अध्यक्ष महोदया इसी सदन में प्रत्येक वार्ड में 05—05 सफाई कर्मचारी दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, उसका अनुपालन आज तक नही हुआ है। हमारे वार्ड में अवस्थापना निधि एवं 14वें वित्त आयोग से तथा प्राप्त हमारे कोटे के रू0 10.00 लाख के कार्य आज तक नही हुये है। मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत लुधौरा में पानी की टंकी की सफाई तो कराई गई, किन्तु उस पर शेड न लगवाये जाने के कारण उसमें फिर से गन्दगी हो गई है। जब स्वच्छ पानी नही मिल रहा है, तो स्वच्छ भारत मिशन का क्या मतलब है।

अध्यक्ष ने कहा कि नगर आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पार्षद द्वारा उठाई गई समस्याओं पर अधिकारियों द्वारा एक—एक कर उनका जवाब दिलवाया जाये।

तद्नुसार नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में महाप्रबन्धक 'जलकल' के कहने पर अधिशाषी अभियन्ता जलकल ने जैसे ही इस समस्या के सम्बन्ध में बोलना शुरू किया तो, उनको रोकते हुये श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि अध्यक्ष महोदया पिछले सदन में श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता को सदन द्वारा निलम्बित कर दिया गया था, क्या यह बहाल हो गये है, यदि नही तो यह किस अधिकार से जवाब दे रहे है, इससे सदन को अवगत कराया जाये।

महाप्रबन्धक 'जलकल' ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 02—02 नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने हेतु एवं 02—02 हैण्डपम्प रिबोर किये जाने हेतु निर्णय लिया गया था, सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नाटिस दिये जाने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ न करने पर उसकी निविदा निरस्त करते हुये पुनः निविदा कराई गई, जिसमें कोई निविदा प्राप्त नही हुई। इस कार्य हेतु फिर से पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है। अब तक कानपुर महानगर में विभिन्न वार्डो के अन्तर्गत 25 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं 66 हैण्डपम्प रिबोर कराये जा चुके है। शेष हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोर की कार्यवाही निविदा होने पर पूर्ण करायी जायेगी।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि जनता पेयजल एवं अन्य समस्याओं के लिये पार्षदों के साथ अभद्रता कर रही है, हमें बताया जाये कि हैण्डपम्पों का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

श्रीमती मेनका सिंह सेंगर ने क्षेत्र की सीवर समस्या एवं अन्य समस्याओं के निस्तारण की सुनवाई न करने तथा उनकी अनदेखी करने पर अधिकारियों के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुये अमर्यादित टिप्पणी की, जिस पर सभी अधिकारी बैठक के बहिष्कार की मंशा से आपत्ति दर्शाते हुये अपनी—अपनी जगह पर खड़े हो गये। इस पर भा0ज0पा0 पार्षददल उपनेता श्री महेन्द्र शुक्ला ने सभी अधिकारियों से पार्षद द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के प्रति खेद व्यक्त करते हुये बैठक की कार्यवाही संचालित होने के लिये अनुरोध किया गया।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि वार्डो में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोर के कार्य हेतु तीन बार निविदा हो चुकी है, जिसमें निविदा नही आई, यदि चौथी बार में भी निविदा नही आती है तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

ह0..............महापौर

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि जो हैण्डपम्प के टेण्डर बार–बार कराये जा रहे है, जिसमें एक भी निविदा प्राप्त नही हो रही है, यदि उचित समझे तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुये इसे किसी कम्पनी को एलॉट कर दिया जाये, जिससे कार्य समयबद्ध तरीके से कराया जा सके।

इसी बीच मो0 शमीम आजाद ने सदन सभागार के खराब साउण्ड सिस्टम के प्रति रोष व्यक्त करते हुये कहा कि इसके पूर्व के सदन में निर्णय लिया गया था कि सदन के साउण्ड सिस्टम ठीक करा दिये जायेंगे, जो कि ठीक नही कराये गये है। माननीय अध्यक्ष महोदया मुझे विकास कार्य कराये जाने हेतु जो रू0 10.00 लाख का कोटा आवंटित किया गया है, उससे सदन का साउण्ड सिस्टम ठीक कराया जाये।

श्री राघवेन्द्र मिश्र ने कहा कि वर्ष 2012 में तत्कालीन नगर आयुक्त श्री एन0के0सिंह चौहान द्वारा कार्मिक विभाग को एक आदेश किया गया था, कि "देखने में आया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा अपने कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उनसे उच्च पद का कार्य लिया जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों द्वारा मा0 न्यायालय में वाद दाखिल किये जाते है और उनकी प्रभावी पैरवी न होने पर नगर निगम के विपरीत आदेश आते है, जिससे नगर निगम की छवि खराब होती है। अतः समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में कार्यरत किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से उससे उच्च पद का कार्य न लिया जाये और इसके बाद भी किसी विभागाध्यक्ष द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से उससे उच्च पद का कार्य लिया जाता है तो उसके विरूद्ध शासनादेशानुसार कार्यवाही की जायेगी। हम सभी जानते है कि स्वास्थ्य विभाग में बिना सुविधा शुल्क लिये कोई कार्य नही किया जाता है। अतः वहाँ पर तैनात कर्मचारियों का तत्काल स्थानान्तरण किया जाये। तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

प्रस्ताव संख्या–32

1. नगर निगम, कानपुर में कर्मचारी संघ के नाम पर कई फर्जी यूनियिन है। प्रायः यह अनुभव पाया है कि कर्मचारी नेता के नाम पर सैकड़ों कर्मचारी कोई भी कार्य नही करते व दिनभर दलाली आदि का कार्य करते नजर आते है। जनहित भी बाधित करते है।
2. सदन में मेरा यह प्रस्ताव है कि एक स्वस्थ्य यूनियन हेतु निर्वाचन अति आवश्यक है, यह चुनाव नगर निगम द्वारा कराना सुनिश्चित हो और वही यूनियन ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हो।

अस्तु मा0 महापौर जी से आग्रह है कि उपरोक्त प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित करा अनुपालन कराने का कष्ट करें।

.... नगर निगम कार्यहित में निर्धारित विधिक नियमों के तहत यूनियन का निर्वाचन कराया जाये साथ ही कार्य से विरत कर्मचारियों का चिन्हांकन करते हुये दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

श्री मदन लाल ने कहा कि दैनिक जागरण आवास से भैंरवघाट जाने वाला मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है। अध्यक्ष महोदया मार्ग अत्यधिक खराब होने के कारण शवयात्रा ले जाने वाले लोगो को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण मार्गो का निर्माण न कराकर योजनाओं के अन्तर्गत उन मार्गो का निर्माण कराया जा रहा है, जिन मार्गो पर मात्र मरम्मत की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त मार्ग का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाये।

ह0.............महापौर

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ पुरखों को भी जल देने की व्यवस्था है। कोई कार्य कराया जाये या न कराया जाये परन्तु पानी की व्यवस्था प्राथमिकता पर कराई जाये।

महाप्रबन्धक जलकल ने कहा कि हैण्डपम्प के सम्बन्ध में निविदा उपरान्त कार्यवाही प्राथमिकता पर कराई जायेगी।

श्री कैलाश पाण्डेय ने कहा कि अध्यक्ष महोदया जोन–2 में हम लोगों को जो रू0 10–10 लाख का दूसरा कोटा दिया गया था, उस पर टेण्डर की बार–बार तिथि क्यों बढ़ाई जा रही है ? जब सभी जोनो के टेण्डर मैनुअल हुये थे, तो जोन–2 को टेण्डर क्यों नही हुआ था, हम इसकी जानकारी चाहते है।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि पिछले काफी दिनों से नगर निगम की वेबसाइट खराब होने के कारण दिक्कत आई थी।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि अध्यक्ष महोदया आपको अवगत कराना चाहते है कि कानपुर महानगर में कर निर्धारण के नाम पर अनियमितता की जाती है। जनता को टैक्स बढ़ाकर नोटिस भेजी जा रही है और उस पर अनियमितता करते हुये बाद में उसे संशोधित करने का कार्य किया जा रहा है। यदि हम पार्षदों द्वारा किसी व्यक्ति की सिफारिश की जाती है तो उस पर सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक द्वारा कहा जाता है कि आप पार्षद के पास गये थे, इसलिये अब तो आपका टैक्स ठीक नही किया जायेगा। महोदया इस प्रकार के कृत्यों पर तत्काल रोक लगाते हुये वर्षो से एक ही स्थान पर तैनात राजस्व निरीक्षकों का तत्काल स्थानान्रण किया जाये।

श्री कैलाश पाण्डेय ने कहा कि यदि एक ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नही किया जा रहा है तो उसका दूसरा टेण्डर स्वीकृत न किया जाये। कई ठेकेदारों द्वारा फर्जी एफ0डी0आर0 लगाई गई है, उसकी जाँच कराई जाये। अध्यक्ष महोदय एक–एक प्लान्ट पर 03–03 ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन है, इसकी जाँच कराई जाये। जोन–2 में कोई हैण्डपम्प नही लगे, महाप्रबन्धक 'जलकल' झूठ बोल रहे है।

अध्यक्ष ने श्री कैलाश पाण्डेय के कथन पर जाँच कराये जाने तथा श्री मदन लाल द्वारा भैरवघाट जाने वाले मार्ग के निर्माण का प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही कराने के निर्देश नगर आयुक्त को दिये।

श्री सौरभ तिवारी ने कहा कि मेरे वार्ड के अन्तर्गत स्वर्ण जयंती विहार के हस्तान्तरण के समय के0डी0ए0 द्वारा नगर निगम को रू0 131533000/– हस्तान्तरण के प्राप्त हुये थे। जलकल के अधिकारियों द्वारा धरातल पर कार्य न कराकर कार्यो के फर्जी भुगतान किये जा रहे है। सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि कमेटी बनाकर इसकी जाँच कराते हुये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और फर्जी भुगतान की गई धनराशि की रिकवरी करते हुये, क्षेत्र में कार्य कराये जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले सदन पटल पर उस अधिकारी को हमने देखा जिसे पिछले सदन में निलम्बित कर दिया गया था और उसके बाद मेरे द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न का भी उत्तर नही दिया गया। कर निर्धारण प्रक्रिया सही है, अथवा नही, अवगत कराया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 सदन व कार्यकारिणी की कार्यवृत्त जारी हो जाने के उपरान्त सभी अधिकारियों को निर्णयों के अनुपालन हेतु भेजा जाता है। सभी मा0 पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं के सम्बन्ध में एक–एक कर अधिकारियों द्वारा स्पष्ट उत्तर दिलवाया जायेगा।

ह0..............महापौर

अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' ने श्री राजवी शुक्ला, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी सदस्यों को कर निर्धारण नियमावली पत्रक का वितरण कराया जाये साथ ही सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि आप सभी के सहयोग से हमने गत वर्ष 2017–18 के माह नवम्बर तक रू0 50.00 करोड़ तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के नवम्बर माह तक रू0 75.00 करोड़, इस प्रकार रू0 25.00 करोड़ अधिक वसूला है।

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि हम यह पूछ रहे है कि टैक्स बढ़ोत्तरी पर क्या कार्यवाही की गई है और उनके संशोधन में जो अनियमितता की जा रही है, क्या वह उचित है ?

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि मैंने अपने जोन में एक टैक्स का मामला दिया था, जिसमें नगर निगम द्वारा भवन स्वामी को रू0 06.00 लाख वार्षिक कर निर्धारण का नोटिस दिया गया था। बाद में राजस्व निरीक्षक द्वारा विभागीय संलिप्तता से उसे घटाकर रू0 02.50 लाख कर दिया गया, क्या आप इस पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में तिथि निर्धारित करते हुये कैम्प लगाकर सम्बन्धित मा0 पार्षद की उपस्थिति में कर निर्धारण की समस्याओं का निराकरण कराया जाता है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि जनता द्वारा अपने घर के अन्दर जाकर पैमाइश करने की अनुमति नही दी जाती है। हमारा उद्देश्य भारी भरकम टैक्स लगाना नही बल्कि कर निर्धारण से छूटे हुये भवनों को कर निर्धारण की परिधि में लाना है। अब तक कर की परिधि से छूटे हुये 32000 मकान कर की परिधि में लाये जा चुके है।

अध्यक्ष ने कहा कि 2000–2005 के निर्वाचित सदन में जब मैं पार्षद थी, तब कर निर्धारण उप समितियों के माध्यम से विवादित मामलों का निस्तारण किया जाता था तत्समय मैं कर निर्धारण उप समिति की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। कर निर्धारण प्रक्रिया से भली भाँति भिज्ञ हूँ। विवाद की स्थिति में घर–घर जाकर निरीक्षण करते हुये तद्नुसार वस्तुस्थिति से अवगत होकर कर निर्धारण कराया जाता था इसप्रकार मामलों का निस्तारण होता था। अतः नगर आयुक्त को पारदर्शिता के साथ न्यायसंगत कर निर्धारण प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

नगर आयुक्त ने कहा कि 06 जोन है, उसमें मैंने दोनो अपर नगर आयुक्तों के मध्य 03–03 जोन बाँट दिये है, जिससे कर निर्धारण की समस्याओं का समय से निस्तारण हो सके। अतः अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' टीम गठित करते हुये सभी राजस्व निरीक्षकों व कर अधीक्षकों को निर्देशित करें कि परीक्षण कराने के पश्चात् ही भवन स्वामियों को टैक्स की न्यायसंगत/वास्तविक धनराशि की नोटिस ही भेजी जाये तथा मुझे भी अवगत कराया जाये कि कितनी नोटिसें सुनवाई हेतु लम्बित है और कितनों में निर्णय हुये। समय–समय पर सुनवाई की जाये तद्नुसार यथोचित कार्यवाही करते हुये मामले निस्तारित किये जाये, इससे विवाद समाप्त होंगे और सामान्य कर में वृद्धि होगी।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि कर निर्धारण की हियरिंग कमेटी में सभी पार्षददलों के पार्षद भी सम्मिलित किये जाये।

ह0..............महापौर

श्री सौरभ देव ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं टैक्स के विषय में एक सवाल करना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र एवं व्यवसायिक क्षेत्र से कितना टैक्स आता है ? क्योंकि गुमटी नं0–05 में मकान के नीचे दुकानों के बाहर दुकानदारों की सह पर ठिलिया खुमचा लगाये जाते है, उन ठेले वालो से दुकानदार तो लाभान्वित होते है, परन्तु नगर निगम को कोई टैक्स नही मिलता है। मैं बताना नही चाहता हूँ, इसके मेरे पास साक्ष्य भी है, परन्तु मैं कहूँगा नही कि कैसे अनियमितता हो रही है। पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन नही किया जा रहा है, जिससे पार्षदों के क्षेत्र में बदनामी हो रही है। हम लोग जब अधिकारियों को फोन करते है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हम बैठक में है, अभी व्यस्त है, परन्तु कोई संतोषजनक जवाब नही दिया जाता है। मेरे वार्ड क्षेत्र में स्थित इण्टरनेशनल स्कूल के पीछे पानी के बहुत बड़े लीकेज के कारण लगभग 10 फिट का गड्ढा हो गया था, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन नगर आयुक्त ने रात में 11:00 बजे फोन उठाकर समस्या का कुछ समय तक निराकरण कराया, किन्तु वह समस्या अब पुनः प्रारम्भ हो गई है। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, क्षेत्र की जनता जो पानी के लिये परेशान है, उस तक पानी नही पहुँच रहा है, परन्तु इसका स्थाई समाधान नही कराया जा रहा है। सभी यूनियनों को कमरे कैसे आवंटित किये गये, इसके प्रति भी जवाब दिलवाया जाये।

श्रीमती निर्मला मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष महोदया आपके द्वारा मेरे वार्ड क्षेत्र में अमृत योजना के अन्तर्गत एक पार्क का उद्घाटन किया गया है, मैं चाहती हूँ कि इस **पार्क का नामकरण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से "अटल पार्क" किया जाये।** मेरा वार्ड मे आने–जाने का रास्ता आई0आई0टी0 से होकर गुजरता है, आई0आई0टी0 द्वारा हमें निकलने के लिये छोटी रोड दी जा रही है, और हमारे वार्ड में कूड़ा डम्प किये जाने हेतु चन्देल गेट/प्रधान गेट दो बड़े कंटेनर रोड के किनारे रखे है, कृपया उन कूड़े के कंटेनरों को उचित स्थान पर रखवाया जाये, जिससे क्षेत्र के कूड़े का निस्तारण सुचारू रूप से हो सके। हमारे वार्ड क्षेत्र में पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी निराकरण कराते हुये हैण्डपम्प लगवाये जाये।

सुश्री लक्ष्मी कोरी ने कहा कि मेरे वार्ड में जल निगम द्वारा पानी की लाईन डाली गई थी, परन्तु के कनेक्शन आज तक नही किये गये है, जिसके कारण पानी के लिये क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक असुविधा हो रही है, हमें यह अवगत कराया जाये कि पानी के कनेक्शन कब तक करा दिये जायेंगे ?

सभी सदस्यों द्वारा सदन के माइक खराब होने की वजह से आवाज न सुनाई देने के कारण अध्यक्ष महोदय से सर्वप्रथम इसे ठीक कराने के लिये कहा, जिससे हम अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके, इसी के साथ सदन सभागार में शोरगुल प्रारम्भ हो गया।

अध्यक्ष द्वारा मध्यान्ह 12:50 बजे बैठक की कार्यवाही स्थगित की गई।

....

स्थगन अवधि पश्चात् अपरान्ह 01:15 बजे अध्यक्ष ने पुनः बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अगले आहूत सदन की बैठक से पूर्व सदन सभागार का साउण्ड सिस्टम प्रत्येक दशा में ठीक कराने के निर्देश नगर आयुक्त को दिये, जिससे सदस्यों को अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने में कोई असुविधा न हो।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि अध्यक्ष महोदया अवगत कराना चाहता हूँ कि हम पार्षदों को जो सी0यू0जी0 सिम उपलब्ध कराये जाने का निर्णय कार्यकारिणी व सदन में लिया गया था, उसका अनुपालन आज तक नही किया गया है। मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित अशोक वाटिका में अशोक स्तम्भ लगवाये जाने का निर्णय लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था, उस पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है।

ह0..............महापौर

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया अपर नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 174 की नियमावली का पत्रक उपलब्ध कराया गया है, उसमें जो सूचना दी गई है कि इस नियमावली के अन्तर्गत टैक्स लगाया जायेगा, मेरा कहना है कि इसके और भी बिन्दुओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता, तो उचित होता। जिन भवनों पर हम भवन स्वामी से टैक्स नही वसूल पा रहे है, वहाँ पर अध्यासी से भी टैक्स की वसूली की जा सकती है। सन् 2008 में जब जी0आई0एस0 सर्वे हुआ था तो स्थितिया बिगड़ गई थी। अतः नगर निगम अधिनियम व शासनादेश के चक्कर में नगर निगम को न फंसाकर शहर की जनता को राहत प्रदान कराई जाये। कर की परिधि से छूटे भवनों को कर की परिधि में लाया जाये।

अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' ने कहा कि मा0 पार्षद जी ने जिन बिन्दुओं पर जानना चाहा है। नगर निगम की पृष्ठभूमि ऐसी है कि यहाँ पर कई सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से निर्माण कर लोग निवास कर रहे है और कई क्षेत्रों में सोसाइटी बनाकर लोग अवैध रूप से निर्माण कर निवास कर रहे है, जिसके उनके पास कोई अभिलेख उपलब्ध नही है, जिस कारण उनकों भी कर की परिधि में नही लाया जा सकता है। हमने नगर निगम सीमान्तर्गत सोसाइटी क्षेत्रों में गृहकर की वसूली हेतु शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु पत्र भेजा है, शासन दे दिशा–निर्देश प्राप्त होते ही तद्नुसार कार्यवाही कराई जायेगी।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि जब नगर निगम अधिनियम में व्यवस्था है, तो शासन से अनुमति क्यों माँगी गई है, जबकि नगर निगम अधिनियम में भवन स्वामी अथवा अध्यासी से गृहकर की वसूली किये जाने हेतु व्यवस्था दी गई है।

अध्यक्ष ने सदन में प्रतिभाग कर रहे मा0 विधायक हाजी इरफान सोलंकी व विधान परिषद सदस्य श्री दिलीप सिंह यादव से क्रमशः अपने–अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा।

श्री इरफान सोलंकी ने कहा कि मैंने अपर नगर आयुक्त को पत्र भेजकर प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिये कहा था, जिस पर उन्होंने अवगत कराया कि शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है, तद्नुसार जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, उसी अनुसार कार्य कराये जायेंगे। जबकि मेरा कहना है कि जब प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्रों के भवन स्वामी हाउस टैक्स देना चाहते है, तो टैक्स लेकर उन्हें मूलभूत सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। राखमण्डी तथा अन्य क्षेत्रों में जहाँ दलित, गरीब निवास करते है, मेरे द्वारा वहाँ भी विकास कार्य कराये गये है। अतः इन्हें भी मूलभूत सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार है।

श्री दीलिप सिंह यादव सदस्य विधान परिषद ने कहा कि विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लाया गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक कमेटी का गठन किया जाये, जिसमें पक्ष, विपक्ष के सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों को रखा जाये, उसकी रिपोर्ट के आधार पर सदन के माध्यम से विज्ञापन एजेन्सियों का पंजियन किया जाये, जिससे अधिकारियों की मनमानी रोकी जा सके।

अध्यक्ष ने कहा मूलभूत सुविधाओं के लिये मैंने उत्तर प्रदेश शासन से प्रदत्त योजनाओं (चौदहवाँ वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि) के मद में धनराशि के सापेक्ष सबका साथ सबका विकास के दृष्टिगत कानपुर महानगर के सभी क्षेत्रों में विकास कराने का निश्चय किया है। कानपुर महानगर औद्योगिक शहर है, इसको भी ध्यान में रखते हुये औद्योगिक क्षेत्रों तथा दलित बस्तियों में भी विकास किया जायेगा। सभी जोनों के अन्तर्गत स्थित मलिन बस्तियों के विकास की कार्य योजना अलग तैयार की गई है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जा रहा है, स्वीकृतोपरान्त विकास कार्य कराये जा सकेंगे।

ह0..............महापौर

श्री अमनदीप सिंह गम्भीर ने लाजपत नगर स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण कराते हुये गुरू गोविन्द सिंह के बलिदान को ध्यान में रखते हुये उनके पुत्रों के नाम से पार्क का नामकरण कराया जाये।

श्री अमित मेहरोत्रा ने कहा कि वार्ड–76 गड़रिया मोहाल में लगभग 06 वर्ष पूर्व पानी की टंकी बनाई गई थी, जो आज तक चालू नही है, उसे चालू कराया जाये। संतरविदास रोड, कालीमाई अखाड़ा का निर्माण कराया जाये। योजनाओं से प्राप्त धनराशि के तहत विकास कार्य कराये जाये। नगर निगम की खाली पड़ी जमीन में दुकानें बनाई जाये। घसियारी मण्डी की दुकानों का किराया निर्धारित कर वसूला जाये। मुरे कम्पनी पुल स्थित दुकानों का किराया निर्धारण किया जाये, जिससे नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति हो सके तथा अवैध कब्जों को हटाया जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व के आहूत सदन में प्रत्येक वार्ड में 05–05 सफाई कर्मचारी एवं दो–दो हैण्डपम्प नये व दो–दो रिबोर कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था, जिसका अनुपालन नही किया गया है। सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि प्रति 28000 की आबादी पर 40 सफाई कर्मचारियों का मानक निर्धारित किया गया है, इसके सम्बन्ध में कहना है कि जिस वार्ड से सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं मृत हो रहे है, उस पर क्या निर्णय लिया जा रहा है।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि इसको नगर स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट कराया जाये, सदन को गुमराह न किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि नया परिसीमन हुआ उसमें शहर की कुल जनसंख्या को 110 वार्डो में विभाजित करते हुये तद्नुसार मानक निर्धारित करते हुये प्रति 28000 की आबादी पर 40 सफाई कर्मचारियों की नीति निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि कहीं–कहीं वार्डो में 80 सफाई कर्मचारी है और कहीं–कहीं 40 सफाई कर्मचारी से कम है। सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों का भी संज्ञान लेते हुये नगर स्वास्थ्य अधिकारी ध्यान रखे कि सभी वार्डो में सफाई कर्मचारियों की बराबर संख्या रखी जाये। प्रत्येक वार्ड में अतिरिक्त 05–05 सफाई कर्मचारियों की भर्ती से नगर निगम पर आने वाले वित्तीय भार को कैसे वहन किया जायेगा, इस पर भी सदन के सदस्यों द्वारा विचार किया जाना समीचीन होगा।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पहले शहर का स्वरूप क्या था, वर्तमान में शहर की सीमायें काफी बढ़ चुकी है। कुछ वार्डो का क्षेत्रफल कम व कुछ वार्डो का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वार्डो के क्षेत्रफल को दिखवाते हुये उसके आधार पर वार्डो में सफाई कर्मचारी दिये जाये। नगर निगम के कई सफाई कर्मचारी या तो अधिकरियों के साथ कार्यालय अटैच है या फिर नगर निगम में नेतागिरी कर रहे है, इसकी भी जाँच कराई जाये। नगर निगम द्वारा ठेले व खुमचों वालों से यूजर चार्ज की वसूली की जाये और अन्य प्रकार के साधनों से नगर निगम की आय बढ़ाई जाये। सोसाइटी क्षेत्रों से यदि नगर निगम द्वारा टैक्स लिया जाये, तो वहॉ पर नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधायें भी उपलब्ध कराई जाये। विद्युत पोलों पर आज तक सोडियम लाईट की स्थान पर एल0ई0डी0 नही लग सकी है। विज्ञापन नीति नई आई है, इसप्रकार की पूर्व से नीति आ रही है और जा रही है और अवैध होर्डिंग्स धड़ल्ले से लग रही है, आखिर यह बताया जाये कि यह लागू कब होगी, इसकी समय सीमा निर्धारित की जाये। विज्ञापन के नाम पर करोड़ों का खेल हो रहा है। केन्द्र सरकार की महत्वाकाँक्षी योजना ''स्वच्छ भारत मिशन'' के अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, उनके निर्माण से सरकार की मंशा पूरी नही हो रही है। कई स्थानों पर शौचालय तो बना दिये गये है किन्तु उनको सीवर लाईन से नही जोड़ा गया है और न ही

ह0..............महापौर

विद्युत संयोजन दिया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है, केवल धन बार्बाद किया गया, अतः दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। पिछले सदन में कानपुर महानगर के अन्तर्गत मा0 मंत्री नगर विकास के निर्देशानुसार स्थित चट्टों को हटाये जाने हेतु निर्णय लिया गया था, किन्तु उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। छपेड़ापुलिया सब्जीमण्डी का मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव है कि इस मण्डी को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाये तो, इसका निराकरण भी हो जायेगा और जाम से भी निजात मिल जायेगी।

श्रीमती जरीना खातून ने कहा कि आज तक मुझे वार्ड में सीवर सफाई हेतु सफाई कर्मचारी नही मिले है। मेरे वार्ड में सफाई कार्य हेतु 05 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी मुझे भी दिये जाये।

श्रीमती शाहीन खातून ने कहा कि मेरे वार्ड में सीवर की अत्यधिक समस्या है, जनता हमारा घर घेरती है। इसका निराकरण कराया जाये।

अपरान्ह 02:30 बजे भोजनावकाश हेतु सदन की बैठक स्थगित हुई।

....

स्थगन अवधि पश्चात् अपरान्ह 03:15 बजे पुनः बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अध्यक्ष ने कहा कि आज मैं नगर आयुक्त को निर्देशित करती हूँ कि 10–15 वर्षो से एक ही स्थान पर कार्यरत सफाई नायकों/राजस्व निरीक्षकों को कार्यहित में स्थानान्तरित कर दिया जाये। यदि कोई पार्षद किसी कर्मचारी की कार्यशैली से संतुष्ट है और वह उसका स्थानान्तरण नही कराना चाहता है तो वह आज शाम तक पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त को अवगत करा दे। कानपुर नगर निगम द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यो में जिन ठेकेदारों को कई–कई कार्य आवंटित हुये है, परन्तु उनके द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही किया जा रहा है, ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित करते हुये उन्हें कार्य से वंचित किया जाये। नगर आयुक्त यह भी सदन को अवगत करा दें कि प्रत्येक वार्ड में 05–05 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ? नगर आयुक्त यह भी दिखवा लें कि जो सफाई कर्मचारी कार्यालय अथवा अधिकारियों के यहाँ लगे है, उनकों हटाकर तद्नुसार तालिका प्रेषित करते हुये उन्हें वार्डो में सफाई कार्य हेतु तैनात किया जाये। कर निर्धारण समिति में श्री राजीव शुक्ल, नेता सदन, उपसभापति, नेता विपक्ष सम्मिलित रहेंगे। हड़ताल के समय हड़ताल में सम्मिलित आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारियों को चिन्हित करते हुये उन्हें हटाया जाये तथा जन्म–मृत्यु कार्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ को बदला जाये। स्थानान्तरण के पश्चात् हमारे पार्षदों द्वारा किसी की पैरवी न की जाये, यदि किसी पार्षद को कोई दिक्कत है तो अभी बताया जाये। इसी के साथ सदन के सभी सदस्यों को अवगत कराते हुये बताया कि निर्वाचित सदन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिनन्दन किया जाना है, इसी परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस पर निर्णय लेना समीचीन होगा।

<u>प्रस्ताव संख्या–33</u>

बड़े हर्ष का विषय है एवं कानपुर नगर वासियों का सौभाग्य है कि कानपुर नगर के निवासी **माननीय श्री रामनाथ कोविन्द भारत गणराज्य के प्रथम नागरिक (माननीय राष्ट्रपति महोदय) के गौरवपूर्ण पद पर आसीन हुये है।**

कानपुर नगर निगम के निर्वाचित सदस्य माननीय महापौर जी, सम्मानित पार्षदगण एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की हार्दिक अभिलाषा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का नगर निगम सदन में नागरिक अभिनन्दन किया जाये।

ह0..............महापौर

माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को नगर निगम सदन में अभिनन्दन करने हेतु आमंत्रित करने के लिये मा0 महापौर जी एवं सम्मानित पार्षद दल का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय राष्ट्रपति जी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय (राष्ट्रपति भवन) से सम्पर्क कर समय व तिथि निश्चित कराने हेतु सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

.... **सर्वसम्मति से माननीय श्री रामनाथ कोविन्द भारत गणराज्य के प्रथम नागरिक (माननीय राष्ट्रपति महोदय) के नगर निगम सदन में नागरिक अभिनन्दन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–34</u>

श्री जीतेन्द्र गाँधी कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पर विचार करना :–

अवगत कराना है कि विगत कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, जिसके अनुसार 10 लाख तक के निर्माण कार्यो की निविदा को ई–टेंडरिंग से मुक्त रखने को कहा गया है, किन्तु पता नही कि किन कारणों से कानपुर नगर निगम में इस शासनादेश की अनदेखी कर 10 लाख तक के कार्यो की निविदा ई–टेंडरिंग के माध्यम से कराई जा रही है।

अतः मेरा प्रस्ताव आपके माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत है कि कानपुर नगर निगम में 10 लाख तक के कार्यो की निविदा ई–टेंडरिंग से मुक्त रखा जाये।

.... **उत्तर प्रदेश शासनादेश के अनुसार रू0 10.00 लाख तक की धनराशि के कार्यो को ई–टेंडरिंग से मुक्त रखने हेतु नगर आयुक्त को कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।**

अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों की समस्याओं का संज्ञान लिया जा चुका है तद्नुसार उन पर कार्यवाही कराने के लिये नगर आयुक्त को निर्देशित किया जा चुका है। अब सभी सदस्यों द्वारा कार्यसूची में अंकित प्रस्तावों पर भी विचार कर लिया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–35</u>

कानपुर नगर निगम

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा 540, 541(41)(42)(48) एवं 542 के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के विचारार्थ निम्न उपविधि का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण व वसूली) उपविधि, 2018

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	(1) यह उपविधि कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण व वसूली कही जायेगी।
		(2) इसका विस्तार कानपुर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
		(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।
2–परिभाषाएं	2(I)	जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में–

ह0..............महापौर

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य **उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959** से है।

(2) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापनपट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, सुनाने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(3) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजन के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना या ध्वनि से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हों जो द्वार के भीतर या बाहर, किसी भी रीति, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापनपट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो, 25

(4) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,

(5) '' पताका'' ''बैनर'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,

(6) पताका विज्ञापन का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रुप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो

(7) ''समिति'' का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से हैं,

(8) ''निगम'' का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है,

(9) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,

(10)''गैन्ट्री प्रतीक'' का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से हैं,

(11) डिजिटल स्क्रीन का तात्पर्य यह है कि ऐसे विज्ञापन पट जिसमें एक या उससे अधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते हों।

(12) ''भू विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापनपट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो,

(13) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो,

(14) ''शमियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शमियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो, तथा जो भवन की दीवार एवं भवन सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो,

(15) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,

(16)'मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है,

(17) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित,है।

(18) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है,

ह0..............महापौर

(19) बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायवान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागे गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है,

(20) पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन ''का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात फलावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट लगाये जाने से है,

(21) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन ''का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर /पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है,

(22) ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन''का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किस ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए,

'(23) 'प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी सरंचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो,

'(24) ''अनुज्ञा शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–541 की उपधारा 48 कें निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है,

(25) 'अस्थायी विज्ञापन'' का तात्पर्य कार्य दिवस/अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वाँछित किसी विज्ञापन,प्रतीक झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढाँचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,

(26) ट्री गार्ड विज्ञापन''का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरो पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अतिंम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है,

(27) ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टाँगे गये किसी विज्ञापन से है,

(28) ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,

(29)''मैदान'' का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि (Open Ground), पार्क (Park) अथवा खेल के मैदान (Play Ground) से है।,

2(II) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3–स्थल चयन के लिए समिति का गठन

(1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई, और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने एवं प्रतिबन्धित स्थलों के चयन के लिए कानपुर नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे :–

ह0..............महापौर

(1) नगर आयुक्ता अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
(2) मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम	सदस्य
(3) निगम का यातायात अभियंता या कोई अधिकारी जो अधिशाषी अभियंता की श्रेणी से भिन्न न हो।	सदस्य
(4) प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन)	सदस्य / सचिव
(5)सचिव / संयुक्त सचिव कानपुर,विकास प्राधिकरण	सदस्य
(6) परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जहॉ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एन.एच.ए.आई)से सम्बन्धित हो)	सदस्य
(7) अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (जहॉ स्थल लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हो),	सदस्य
(8) नगर मे यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	सदस्य
(9) क्षेत्रीय प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम(जहॉ स्थल बस शेल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो),	सदस्य
(10) भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि (जहॉ स्थल रेलवे से सम्बन्धित हो),	सदस्य

टिपप्णी – नगर आयुक्त,महापौर के परामर्श से किसी एक या एक से अधिक सदस्य को जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकता है।

(3) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलो पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यमं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे। विज्ञापन मे प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–निषेध

(1) नगर निगम अधिनियम 1959 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना :कोई व्यक्ति नगर निगम सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, रेलवे प्रशासन की ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के जो किसी सडक के सामने पड़ती हो, उपरिगामी सेतु या मैट्रोरेलवे के पिलर की समस्त संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा या न सुनायेगा।

(2) नगर निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटाकायेगा, न सुनायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, न सुनवाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रुप से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के बायें मार्ग (carriage way), छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ठ मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(6) नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 के खण्ड 48 के अधीन नगर निगम द्वारा पारित उपविधि का उल्लंघन होता हो।

(7) विज्ञापन के सम्बन्ध में यदि कोई अवशेष देय हो।

(8) राष्टीय/राजकीय संग्रहालयों, नेशनल पार्क, धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्थलों पर विज्ञापन पटों को चित्रित करने व लगाने पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध रहेगा।

5–विज्ञापनकर्ताओ का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

(1) पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियॉं ही विज्ञापन हेतु अनुमन्य होगी।

(2) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को 'अ''श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 50.000.00(पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 2,00,000,00 (दो लाख रूपये) धरोहर धनराशि,''ब'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 30.000.00(तीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 1,50,000,00(एक लाख पचास हजार रूपये) धरोहर धनराशि, ''स''श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 20.000.00(बीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 1,00,000,00(एक लाख रूपये)धरोहर धनराशि,''द'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 15.000.00(पन्द्रह हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 75,000,00(पछत्तर हजार रूपये))धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

(3) पंजीकरण/नवीनीकरण कराने हेतु प्रत्येक आवेदन अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 500/–भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(4) पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने के साथ 07 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क ''ए'' श्रेणी हेतु रु0 30,000/–, ''बी'' श्रेणी हेतु रु0 20,000/– एवं ''सी'' श्रेणी हेतु रु0 10,000/– व ''द'' श्रेणी हेतु 5000/– होगा। ''ए'' श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता /एजेन्सी ही नीलामी /निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगी।

5(ब)–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रकिया

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 1000/– भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा य निगम के वेबसाइड से डाउनलोड भी किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपनियम–(1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी, जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, उदघोषित किया जाना वाँछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी।

(क) प्रत्येक भू–विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जाएगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–विज्ञापनों के मामले में सहायक किया विधियाँ और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेंगी,

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,

(घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

(ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध– पत्र, आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 के ''संरचना अभिकल्प धारा–1 भार, बल और प्रभाव के भाग–4 अनुसार होगा।

(घ) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ङ) भू/भवन स्वामी की जमीन व भवनों के ऊपर अगर कोइ विज्ञापनपट प्रदर्शित करता है तो उस भूमि/भवन को व्यवसायिक (कामर्शियल) श्रेणी माना जायेगा, उस पर गृह कर/जल कर व्यवसायिक (कामर्शियल) दर के आधार पर जमा रशीद पंजीकरण फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वाँछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न् हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन सम्प्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री–गार्डो/फ्लावर पॉट पर् कोई विज्ञापन प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा, सडक यातायात सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना होगी।

6–क अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क , इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6,2 मीटर व चौड़ाई 12.2 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापन पटों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नही होगी। गैन्ट्री, कैन्टीलीवर एवं यूनीपोल लगाए जाने की दशा में दोनों के मध्य की दूरी 25 मीटर से कम नही होगी,

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा,

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,

(ड़) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसका विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नही किया जाएगा,

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे,

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगें, सम्प्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,

(ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी,

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बाधित नही होंगे,

(ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा,

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित उपविधि का अनुपालन करना होगा,

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा,

(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों जो नेशनल पार्क, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थानों, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, एतिहासिक स्थलों, सग्रहालयों, धार्मिक पूजा स्थलों के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी,

ह0..............महापौर

(ढ) विज्ञापन पटो का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें.

(ण) समस्त विज्ञापन नियम 17 "समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षायें" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरुप होगें

(त) विज्ञापन को वृक्षो या काष्ठमय पेड पौधे मे गाडा,बॉधा नही जायेगा।

(थ) नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापनकर्ताओं द्वारा लगाये गए विज्ञापनपट पर पेण्टर/मुद्रणालय का नाम/फर्म का नाम व पेण्टर द्वारा नगर निगम कानपुर में अपनी फर्म के कराए गए रजिस्ट्रेशन का नम्बर, पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

(द) नगर निगम सीमान्तर्गत भारतीय रेलवे/मैट्रो रेलवे लाइन की बाउण्ड्री एवं पिलर पर विज्ञापनपट द्वारा प्रदर्शन किया जाता है तो नगर आयुक्त द्वारा अनुमति के पश्चात निर्धारित अनुज्ञा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उनका नवीनीकरण तत्काल स्वतः समाप्त हो जाएगा,

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है,

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन किया जाता है,

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है,

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट्ट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

प्रीमियम 6–ख

(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिये स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा,

(2) मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित न्यूनतम प्रीमियम की पूर्ण धनराशि अथवा 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

7–आवंटन समिति

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें–

(एक) नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त — सदस्य

(दो) निगम का मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

ह0............महापौर

(तीन) निगम में तैनात यातायात सेल (ट्रैफिक सेल	सदस्य
का अभियन्ता)	सदस्य
(चार) प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट जो सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से भिन्न न हो	सदस्य–सचिव

टिप्पणीः **नगर आयुक्त,महापौर के परामर्श से एक या एक से अधिक** सदस्य सहयोजित कर सकते है

जैसा वह उचित समझे।

(2) (एक) समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेंगी

(दो) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम–26 के अधीन अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी।किसी विज्ञापन स्थल के लिये एक से अधिक समान प्रीमियम की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सभी समान दर उद्धत करने वाले आवेदको से पुनः मोहर बन्द प्रस्ताव आंमत्रित करके,उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य, सचिव समिति द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्ही कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नही करता हैं और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(7) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्ते अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

(8) विज्ञापन (यथा–होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा एक ही रुप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।

ह0..............महापौर

(9) यदि कोई विज्ञापन निजी भूमि या भवन पर सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग को छोड़कर जहाँ इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री–गार्ड या चहारदीवारी पर सम्प्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क, उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

8–आवेदनपत्रों की अस्वीकृति के आधार

नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है यह कि:–

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरुप न हो,

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से सम्प्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील, नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति भंग उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

(घ) प्रस्तााावित विज्ञापन से तूफान या अधंड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(ड़) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा–172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनाँक को असंदत्त हो।

(ज) तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो

(झ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझे।

(ञ) विज्ञापन या विज्ञापनपट पर पेण्टर/मुद्रणालय का नाम/फर्म का नाम व पेण्टर द्वारा नगर निगम कानपुर में अपनी फर्म के कराए गए

ह0..............महापौर

रजिस्ट्रेशन का नम्बर, पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

9—अनुज्ञा प्रदान करने की रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा—

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण द्वारा किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नही दी जायेगी जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हों।

(चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन दी जा सकती हैं, एवं निजी स्थल/भवन स्वामी व विज्ञापनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि का आपकी सहमति नोटरी शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही निजी भूमि/भवन का व्यवसायिक (कामश्यिल) गृहकर/जलकर वर्तमान वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) की जमा रशीद फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(पाँच) विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो पर अनुज्ञा व नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्रों के लिये अधिकतम 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जायेगा यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञाापनकर्ताओं सूचित किया जायेगा।

10—अनुज्ञा की अवधि

अनुज्ञा, की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र मे विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा,अनुज्ञा के दिनाँक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक,जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी,इनमें जो भी पहले हो,होगी।

11— अनुज्ञा का नवीनीकरण

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 5(3)(4) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिये विज्ञापनकर्ता को अनुसूची—1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

12—विज्ञापन या विज्ञापन

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रदर्शित किया जाता

ह0..............महापौर

पट हटाने की शक्ति

है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो नगर आयुक्त, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है:–

(क) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापनपट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, सम्प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरुप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन सम्प्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग /सड़क/फुटपाथ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि–

(एक) यह आकार में 12..2 मीटर x 6..2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02मी0 से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 20 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय (वाहन) या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पाँच) यह मार्ग के आर पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छः) यह किसी निजी परिसर के बहार क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रर्दिशत हो।

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, नेशनल पार्क

ह0..............महापौर

न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो

(आठ) स्थल नियम–22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,

(नौ) जर्जर स्थिति में हो जिसके ऑधी–पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो,

(2) **विज्ञापनों और विज्ञापन पटों को निम्नलिखित रुप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी–**

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर,एवं समस्त प्रमुख चौराहों की दूरी 30 मीटर के भीतर

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(चार) ऐसे रुप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पटो, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो, और इसलिए परिसंकटमय हो

(छः),ऐसे रुप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(सात) जब इनसे स्थानीय व जन सुविधायें प्रभावित हो।

(आठ) प्रतिबन्धित क्षेत्र में डिवाइडर जो हाइटेंशन लाइन के नीचे, पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि स्थानों पर बैनर क्यास्क, यूनीपोल, विज्ञापनपट को निर्बन्धित करते हुए मोतीझील परिसर मे धार्मिक कार्यो को छोड़कर प्रतिबन्धित क्षेत्र होगा।

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकानें अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनो,दिशा–शूचकों और महत्व सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन–पटो पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।

(दो) सड़क पर कास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा,

ह0..............महापौर

(तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनो छोरो पर स्थान बोधक,दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नही होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जायेगी कि समान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके, दो गैन्ट्री, कैन्टीलीवर एवं यूनीपोल के मध्य की दूरी 25 मीटर होना अनिवार्य होगा,

(चार) फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेगे। कैक्टस वाले फलावर पॉट अनुमन्य नही होगे,

(पॉच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री—गार्ड/फ्लावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा,

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस मे इस प्रकार सटे होगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा नहीं होगी—

(एक) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन पट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो,

(दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट , जो इस रुप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14—छत के ऊपर के विज्ञापन पटो के सम्बन्ध में निर्बन्धन

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पटों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य है,

(2) नियम—6 और नियम—13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट की ऊँचाई, अधिकतम 6..2 मीटर व चौड़ाई 12.2 मीटर से अधिक नही होगी और चौड़ाई किसी भी दशा मे भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नही होगी।

(3) निजी स्थल/भवनों की छतों के ऊपर विज्ञापनपट लगाए जाने की अनुमति भवन स्वामी व विज्ञापनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि का आपकी सहमति नोटरी शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही निजी भूमि/भवन का व्यवसायिक (कामर्शियल) गृहकर/जलकर वर्तमान वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) की जमा रशीद फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15— विज्ञापन पटो के प्रकार

1. विज्ञापन पट निम्नलिखित प्रकार के होगेः—

क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन,/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन

(ख) एल०ई०डी० स्क्रीन

ह0..............महापौर

(ग) भू–विज्ञापन,
(घ) छत विज्ञापन,
(ङ) बरामदा विज्ञापन,/दुकान विज्ञापन
(च) दीवार विज्ञापन,
(छ) प्रक्षिप्त विज्ञापन,
(ज) शामियाना विज्ञापन
(झ) आकाशीय विज्ञापन
(ञ) विविध और अस्थायी विज्ञापन,
(ट) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन
(ठ) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन
(ड) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
(ढ) पताका/झण्डी विज्ञापन,द्वार विज्ञापन,गुब्बारा विज्ञापन,
(ण) ट्री गार्ड/फ्लावर पॉट डिस्प्ले
(त) गैन्ट्री विज्ञापन,
(थ) बिल्डिंग ग्लास,फसाडवॉल रैप,वाटर टैक विज्ञापन
(द) फुट ओवरब्रिज

क– <u>वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन</u>

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 <u>वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन–</u>

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 भाग–8, भवन सेवायें, धारा–2 विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नही किया जायेगा।

ह0..............महापौर

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो,पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट समुचित रुप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रुप में रोका जा सके।

क–5 गहन प्रदीप्त–

कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्ति युक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रुप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जायेगा।

क–6 परिवर्तन अवधि–

नगर आयुक्त की राय में, जन सुख सुविधा,स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।

क–7 चौधने वाला, औझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला–

कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पटों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख–भू विज्ञापन

ख–1 सामग्री–

ढाँचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन, नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

ह0..............महापौर

ख–2 आयाम–

कोई भी भू विज्ञापन भूमि के ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख्य भाग के ऊपर जा सकता है।

ख–3 अवलम्ब और स्थिरक स्थान–

प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 स्थल सफाई –

किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरुप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 यातायात में अवरोध–

ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन कें मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो,

ख–6 तल निर्बाधन के समस्त भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान का जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन, जहाँ लागू हों, वहाँ नियम–16 की अपेक्षाओं के अनुरुप होंगे।

ग–छत विज्ञापन

ग–1 सामग्री–

नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें

मुक्त और रोधित रखी जायेंगी।

ग–2 **अवस्थितिः**

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नही रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश मे व्यवधान उत्पन्ना हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नही रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–3 **क्षेपण (प्रोजेक्शन :** कोई क्षेपण विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

ग–4 **अवलम्ब और स्थिरक :** प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रुप में संवितरित होंगे।

ग–5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग–6 चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हो, नियम–16 " समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं" के अनुरुप होंगे।

ग–7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना चाहियें।

घ–बरामदा

घ–1 **सामग्री–** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम–16 के उपनियम–(4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 **आयाम–** कोई बरामदा विज्ञापन ऊँचाई में 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिली मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ–3 **सरेखण–** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ–4 **स्थान–** बरामदा पट्टिका को जो लटकाने वाले विज्ञापन पट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थान पर लगाया जायेगा–

(एक) बरामदा, छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से बहिर्निष्ट न हो,

ह0..............महापौर

(दो) बरामदा, मुंडेर या आलम्ब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो मुंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक बहिर्निष्ट न हो,

(तीन) पेन्ट किये हुये विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुंडेरों पर।

घ–5 लटकते हुये बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई– किसी बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो।

घ–6 प्रक्षेपण– घ–4 में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, नि निकली हुई नहीं होगी।

ङ–दीवार विज्ञापन

प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जाएगा।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों, चिकित्सालय पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य व अन्य विशिष्टयों के मामले में दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध के मामलों में न द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

च– प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाए

च–1 सामग्रीः प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो

च–2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त हो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहां अग्रभाग के लिए किया गया हो वहां भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

च–3 अवलम्ब एवं संलग्नः प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा संचलन का संक्षरण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए नि द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परि

ह0..............महाप

विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च–4 अतिरिक्त भार ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनाई गयी है या न हो, किसी व्यक्ति का थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्याधिक उल्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

छ–<u>शामियाना विज्ञापन पट्टिका</u>

छ–1 **सामग्री** : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

छ–2 **ऊँचाई**: ऐसे विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और ने पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

छ–3 **लम्बाई**: शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज–<u>आकाश विज्ञापन पट्टिका</u>–

आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामलें में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

झ–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ–1 **प्रकार झ–.2** के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

ह0..............महापौर

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ड़) विज्ञापन पट्टिका का एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अर्न्तगत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामलें में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ–2 अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस,प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश, यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हों, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका : पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

ह0..............महापौर

(पांच) **झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं** : किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित न हो, सुदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाये, उन्हें, यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिन की अवधि तक लटकाए जाने के लिए अनुमति प्राप्त हो।

(छः) **अधिकतम आकार** : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(सात) **प्रक्षेपण** : कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) **विशेष अनुमति** : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुए सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़े, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी : मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरादायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरादायी मानें जायेंगे।

16 <u>सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएं/अपेक्षायें</u>

16(1) **भार** : विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आँधी, डेड से इंस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) **प्रदीप्त** : कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधन और विद्युत युक्ति यां या वायरिंग से भिन्न हों, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग–8, भवन सेवाएं खण्ड–2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नही इस्तेमाल की जाएगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) <u>विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान</u> :–

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्नि शमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आएगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नही होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिए।

(छ) विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियां लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झण्डी में नहीं लगायी जानी चाहिए।

(ञ) नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापनकर्ताओं द्वारा लगाये गए विज्ञापनपट पर पेण्टर/मुद्रणालय का नाम/फर्म का नाम व पेण्टर द्वारा नगर निगम कानपुर में अपनी फर्म के कराए गए रजिस्ट्रेशन का नम्बर व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग –

(एक) सजावटी विशिष्टता : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहां अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :

ह0..............महापौर

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाय चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) **अनुज्ञा–पत्र के ब्यौरे का प्रदर्शन :**

अनुज्ञा–पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17. **दुकानों पर विज्ञापन –**

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम, अथवा उसके बिना भी फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाए तो प्रत्येक दुकान के लिये केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नही माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञाा शुल्क देय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाए कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

18 **मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग छोड़कर)के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन –**

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय राज्यमार्ग/राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी :–

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन –

(एक) **अभिकल्प** : विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर x 1.2 मीटर से अधिक नही रखी जाएगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नही रखी जाएगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

ह0.............महापौर

(2) बस सायबानों पर विज्ञापन (बस शेल्टर):

अभिकल्प : बस सायबानों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए, विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। बस सायबानों पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जाएगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जाएगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ताओं जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वंय के व्यय पर समय–समय पर करानी अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन : नियम –13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर × 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) यातायात रोटरी/सड़क :

नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथों के विकास व रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात पुलिस बूथ उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जाएगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जाएगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन कर तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां

नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर x 0. 75मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मीटर होगी।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) : नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं परन्तु 0.60 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरो पर ट्री गार्ड लगाये जाने की अनुमति नही होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्डस** : नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 मीटर × 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्टी अपने दो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्टी के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्टी की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायगा।

19— छूट (1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगीः—

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि किसी ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय या बैठक या मनोरंजन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह .90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख–रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्ट : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :–

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट** : किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते हों: विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट** : किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हो।

(तीन) नाम पट्ट : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट तो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा से के स्थानो की ओर इंगित करते हो।

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट :

(एक) निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किए गए।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत : अवकाश, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिए उत्तरदायी नही है। (नियम–15 झ(.) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए)

20 विशेष विज्ञापन

(1) यदि अनुसूची–2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त से ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ह0..............महापौर

21. <u>विशेष नियंत्रण क्षेत्र</u>

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञान विज्ञापन युक्ति से नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके निरूपित होने की संभावना हो तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पालों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परनिर्माण औ प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र को घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स कैफे, ''डांसिंग' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

22. <u>निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा</u>

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना, चिपकाना लेखन, आरेक्षण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करे। इस प्रकार के आदेश विरूद्ध घोषणा के तिथि से एण्क माह के भीतर अपील आयुक्त कानपुर मण्डल के समक्ष की जा सकती हैं

ह0..............महापौर

23. झण्डियों पर रोक

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी/बैनरों का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने का कार्य नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी/बैनर दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी/बैनर को हटा सकता है और उसे समयहृत या विनष्ट कर सकता है।

24 अनुरक्षण और निरीक्षण

(1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है उन्हें अविलम्बो, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग–रोगन समय–समय पर किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

25 प्रवेश और निरीक्षण की शक्तिः

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत के या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्ति युक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

ह0..............महापौर

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिये प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक,ध्यान दिया जायेगा।

26— कर भुगतान की रीति

(1) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किश्त में अथवा दो समान किश्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नही किया जायेगा। प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृत के समय जो पूर्वतर हो, तथा दूसरी किश्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता हैं तो अनुज्ञा शुल्क अनुसूची–2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता हैं तो अनुज्ञा की दरें अनुसूची–2 में अंकित दरो पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होगी।

27— क्षेत्रों का वर्गीकरण

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गो में किया जाएगा–

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र
(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र
(तीन) "अ" श्रेणी क्षेत्र
(चार) "ब" श्रेणी क्षेत्र
(पाँच) "स" श्रेणी क्षेत्र

1. क. निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :–

- न्यायालय परिसर (सम्पूर्ण कचहरी परिसर), समस्त सरकारी भवन, ~~समस्त मोतीझील परिसर~~।
- समस्त पार्क, समस्त पुल, चिकित्सालय।
- ऐतिहासिक बिल्डिंग, समस्त धार्मिक स्थल, हाई टेंशन लाइन के नीचे, फूलबाग के चारों तरफ, नानाराव पार्क के अन्दर व बाहर,
- नगर आयुक्त वी.आई.पी. आवागमन, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मेट्रो रेल हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए अधिकृत होंगे।

(दो) 'प्रवर' श्रेणी –

- मरे कम्पनी पुल से मेघदूत तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग, आदर्श व्यायामशाला से कचहरी चौराहा, एस.पी. ऑफिस, एम.जी. कॉलेज सिविल लाइन्स होते हुए लाल इमली तक। लाल इमली से मर्चेण्ट चैम्बर तक। आर्य नगर, तिलक नगर, स्वरूप नगर, अशोक नगर, 80 फिट रोड, पी. रोड, लेनिन पार्क, जवाहर नगर, रामबाग, हर्ष नगर चौराहा, नेहरू नगर, आचार्य नगर, रामकृष्ण नगर।
- मेघदूत चौराहा से बड़ा चौराहा, बड़ा चौराहा से परेड चौराहा होते हुए लाल इमली चौराहा से चुन्नीगंज चौराहा से बकरमण्डी से बेनाझाबर तिराहा से मोतीझील शिवाजी द्वार, मेडिकल चौराहा से रावतपुर स्टेशन तक, रावतपुर स्टेशन तिराहा से कम्पनी बाग चौराहा तक एवं कम्पनी बाग चौराहा से रानीघाट चौराहा से रेव थ्री

ह0..............महापौर

चौराहा से टैफ्को चौराहा से मर्चेण्ट चैम्बर तिराहा से ग्रीन पार्क चौराहा से डी.ए.वी. कॉलेज तिराहा से गोरा कब्रिस्तान से सरसैय्याघाट चौराहा से महफिल होटल होते हुए मेघदूत तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।

- रावतपुर रेलवे स्टेशन से गीता नगर क्रॉसिंग से शारदा नगर क्रॉसिंग होते हुए गुरुदेव पैलेस क्रॉसिंग से चिड़ियाघर मार्ग होते हुए चिड़ियाघर चौराहा तक से लव–कुश बैराज (गंगा बैराज) मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- गोल चौराहा नरेन्द्र मोहन सेतु से कोकाकोला चौराहा से गुमटी नं. 05 से ज़रीब चौकी चौराहा से अफीम कोठी चौराहा से झकरकटी बस स्टेशन से टाटमिल चौराहा से पी. ए. सी. मोड़ होते हुए रामा देवी चौराहा तक तथा रामादेवी चौराहा से जाजमऊ गंगा पुल मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- नरेन्द्र मोहन सेतु से जे.के. मंदिर होते हुए मरियमपुर अस्पताल चौराहा से कबाड़ी मार्केट चौराहा से फजलगंज चौराहा होते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा चौराहा से गोविन्दपुरी पुल से चावला मार्केट से नन्द लाल चौराहा से दीप टॉकीज से बर्रा बाईपास तक।
- गोविन्द नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
- गंगा पुल जाजमऊ व लव कुश बैराज (गंगा बैराज) कानपुर नगर निगम प्रवेश एवं निकास द्वार।

(तीन) 'अ' श्रेणी

- गुरुदेव टाकीज चौराहा से आई.आई.टी. मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- टाटमिल से घण्टाघर चौराहा तक एवं मंजूश्री सिनेमा हॉल के सामने से टाटमिल चौराहा से बाकरगंज चौराहा से किदवई नगर चौराहा होते हुए यशोदा नगर बाईपास तक।
- अफीम कोठी चौराहा से बारादेवी चौराहा होते हुए गोशाला चौराहा से नौबस्ता चौराहा तक, नौबस्ता चौराहा से दासूकुआँ से आवास–विकास हंसपुरम कॉलोनी से गल्ला मण्डी से कानपुर नगर निगम सीमा तक।
- मंजूश्री टॉकीज घण्टाघर से चाचा नेहरु अस्पताल होते हुए डिप्टी पड़ाव चौराहा से सीसामऊ थाना तक।
- किदवई नगर चौराहा से साईट नं. 01 चौराहा से बारादेवी चौराहा तक एवं गोविन्द नगर जाने वाले मार्ग पर।
- बाबा कुटी साउथ एक्स मॉल साईट नं. 01 चौराहा तक।
- एच ब्लॉक तिराहा से संजय वन होते हुए सोटे वाले मंदिर से गोशाला चौराहा से थाना किदवई नगर से दीप टॉकीज तिराहा तक।
- कोकाकोला चौराहा से मरियमपुर चौराहा से जोनल कार्यालय जोन–06 होते हुए सिन्धी कॉलोनी रोड से राहुल स्वीट सब्जी मण्डी तिराहा तक।
- गुमटी नं. 05 रेलवे क्रॉसिंग से संत नगर चौराहा होते हुए कालपी रोड तक।
- ज़रीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग से फजलगंज चौराहा से विजय नगर चौराहा से अर्मापुर स्टेट से नहरिया होते हुए भाटिया तिराहे से भौंती बाईपास तक।
- भाटिया तिराहे से पनकी हनुमान मंदिर चौराहा तक।
- रावतपुर रेलवे क्रॉसिंग से देवकी टॉकीज नीरक्षीर चौराहा से डबल पुलिया तक डबल पुलिया से विजय नगर चौराहा तक विजय नगर चौराहा से दादानगर पुल होते हुए सी.टी.आई. तिराहा से शास्त्री चौक चौराहा से बाईपास तक बाईपास से राम गोपाल चौराहा तक, दादा नगर फैक्ट्री सम्पूर्ण क्षेत्र।
- सचान गेस्ट हाउस चौराहा से शास्त्री चौक चौराहा से रतन लाल नगर होते हुए दबौली गुजैनी बाईपास तक के समस्त क्षेत्र।
- गीता नगर चौराहा से हरी गेस्ट हाउस चौराहा तक।

ह0..............महापौर

- 09 नं. क्रॉसिंग से छपेड़ा पुलिया से नमक फैक्ट्री चौराहा तक।
- फण्ड ऑफिस से थाना काकादेव होते हुए देवकी चौराहा से हरि गेस्ट हाउस से छपेड़ा पुलिया तक सर्वोदय नगर एवं काकादेव पाण्डु नगर के समस्त क्षेत्र।
- हर्ष नगर पेट्रोल पम्प से कोकाकोला चौराहा रेलवे क्रॉसिंग तक।
- रामादेवी से रूमा तक कानपुर नगर निगम सीमा मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- रामादेवी से यशोदा नगर बाईपास मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- श्याम नगर, कोयला नगर, देहली सुजानपुर, करही, नौबस्ता, जरौली, लाल बंगला, तिवारीपुर, जाजमऊ, गाँधीग्राम, कृष्णा नगर, पोखरपुर, किदवई नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
- अहिरवाँ सनिगवाँ, जूही परमपुरवा सम्पूर्ण क्षेत्र।
- समस्त कानपुर नगर निगम प्रवेश एवं निकास द्वार (गंगा पुल जाजमऊ व लव कुश बैराज को छोड़कर)।

(चार) 'ब' श्रेणी

- रेलवे क्रॉसिंग कल्यानपुर से पनकी मंदिर तक जाने वाले मार्ग, नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पनकी शताब्दी नगर योजना के समस्त क्षेत्र एवं पनकी गंगागंज समस्त क्षेत्र सुन्दर नगर रतनपुर के समस्त क्षेत्र।
- पनकी रोड नई शिवली रोड से बारा शिरोही नहर पुल तक।
- डबल पुलिया से नमक फैक्ट्री चौराहा से शनेश्वर मंदिर होते हुए पनकी रोड तक शनेश्वर मंदिर चौराहा से के.डी.एम.ए. स्कूल होते हुए दलहन चौराहा होते हुए आवास–विकास के सम्पूर्ण क्षेत्र।
- दलहन क्रॉसिंग से मसवानपुर चौराहे तक।
- बर्रा विश्व बैंक, दामोदर नगर बर्रा, खाड़ेपुर सम्पूर्ण क्षेत्र।

(चार) 'स' श्रेणी

- जी.टी. रोड इन्द्रानगर होते हुए शुभ संस्कार गेस्ट हाउस तिराहा से सी.एन.जी. पेट्रोल पम्प से मकड़ी खेड़ा से केसा कॉलोनी तक।
- सी.एन.जी. पेट्रोल पम्प से जी.टी. रोड जाने वाले मार्ग रामा डेण्टल अस्पताल रोड से अवधपुरी रोड होते हुए गुरुदेव रोड तक रोडवेज एलन फॉरेस्ट तक।
- कल्यानपुर रेलवे स्टेशन के सामने बिठूर रोड होते हुए डी.पी.एस. स्कूल होते हुए मैनावती मार्ग से जागेश्वा मंदिर मार्ग से चिड़ियाघर तक।
- ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नही है (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर) ।

28— **हटाये जाने की लागत**

नियम—12 के उपनियम—(1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी—

(क)	6.1 मी0 x 3.05मी0 या उससे कम किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने की वास्तविक लागत	रु0 10,000/—
(ख)	ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पटों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 15,000/—
(ग)	किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को साफ करने की लागत	रु0 5,000/—
(घ)	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत	रु0 30,000/—

29— **अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन**

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रूपया—10,000/— (दस हजार रुपये) प्रति विज्ञापनपट तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु० 500.00 (पाँच सौ रुपये) प्रति विज्ञापनपट प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(3) यदि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा बार—बार उपविधि में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में दर्ज कर 03 वर्ष की अवधि तक प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा तथा आगामी वित्तीय वर्ष का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, साथ ही जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन— उपविधि में अन्य बातो के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरो में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणीसमिति/नगर निगम सदन उक्त उपविधि में संशोधन करने के लिये अधिकृत होगी/होगा।

फार्म सं0—
आवेदन मूल्य रू0—1000/—

अनुबंध 1
पंजीकरण फॉर्म
(देखिए उप—विधि 3(1))
नगर निगम कानपुर
बाहरी विज्ञापन प्रदर्शन के लिए पंजीकरण

ह0..............महापौर

01. कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन ब्यौरों सहित कम्पनी / फर्म / अभिकरण / स्वामी का नाम : ....

02. रजिस्टर्ड पता ....

03. टेलीफोन नम्बर .... व्यापार ....

फैक्स .... ई–मेल पता ....

04. निदेशकों / स्वामियों / भागीदारों के ब्योरे ....

क्रम संख्या	फर्म का नाम	डी०आई०एन० नम्बर	मोबाईल नम्बर	ई–मेल पता
(1)				
(2)				

05. कम्पनी के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद ....

06. पिछले 03 वर्षो के, विज्ञापन कारोबार में अभिकरण का अनुभव, ब्यौरे यदि उपलब्ध है,

07. अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव का विवरण,

08. निदेशक का विवरण, जो किसी अन्य अभिकरण के निदेशक रहते हुए किसी मामले में दोषी रहे हो,

09. पिछले 03 वर्षो की बैलेंस शीट, यदि उपलब्ध हो,

10. अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए न कि किसी व्यक्तिक निदेशक बोर्ड (संकल्प पारित करके) प्राधिकार पत्र,

11. कानपुर नगर निगम में पिछले 05 वर्षो में प्राप्त विज्ञापन अधिकारों / अनुमति के ब्यौरे,

12. वचन कि अभिकरण, कानपुर नगर निगम में उसके विरुद्ध कोई राशि लम्बित नही है,

13. संस्था की किस्म ....

14. पैन नम्बर ....

15. जी०एस०टी० नम्बर ....

16. पंजीकरण राशि ....

17. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापनपट का प्रकार..

18. विज्ञापन या विज्ञापनपट का आकार(लम्बाईXचौडाई मीटर में)..

19. स्थलीय नक्शे सहित स्थलों की प्रति..

20. भूमि / भवन या स्थल स्वामी या अध्याशी का नाम..

21. आवेदक फर्म / कंपनी को पिछले 03 वर्षो में किसी भी सरकारी संस्था हाँ ☐ नही ☐

द्वारा काली सूची में डाला नही गया है,

22. आवेदक फर्म / कंपनी में कोई लंबित बकाया नही है हाँ ☐ नही ☐

ह0..............महापौर

23. यदि हाँ कुल लंबित राशि का विवरण दें ....

24. आवेदक फर्म/कंपनी में कोई भी मामला न्यायालय में लम्बित नही है हाँ ☐ नही ☐

मैं/हम, इस इसके द्वारा बनाई गई विज्ञापन उपविधि/पॉलिसी के निबन्धनो तथा शर्तो तथा मार्गदर्शनों का पालन करूँगा/करेंगे। उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रमाणिक है तथा इसके सम्बन्ध में प्रतिकूल निष्कर्ष के मामले में रजिस्ट्रेशन रद्ध हो जाएगा। हाँ ☐ सहमत ☐

जमा करें ☐

(ऑफलाइन प्रस्तुतिकरण के मामले में, कृपया इस प्रारूप का प्रिंटआउट ले तथा "नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम में भुगतान योग्य" के पक्ष में नगर निगम कार्यालय में "नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें।)

टिप्पणी :– यह केवल एक प्रतीकी प्रारूप है तथा समय–समय पर .... के नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अध्यधीन है। वेबसाइट से नवीनतम संस्करण हमेशा प्रयोग किया जाना है।

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर
नाम...
पता...
दूरभाष नम्बर.........................

ह0..............महापौर

अनुबंध 2

अनुमोदन प्रारूप
(देखिए उप–विधि 9)

संख्या .... दिनाँक ....

सेवा में,

....

....

बाहरी विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी. को लगाने के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आवेदन संख्या .... दिनाँक .... के संदर्भ में है।

श्रीमान जी,

यह बाहरी प्रदर्शन के ओ.एम.डी. को लगाने के लिए नगर निगम .... से रजिस्ट्रेशन के बारे में आपके आवेदन के संदर्भ में है।

यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :

01. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है और आपको एकमात्र पहचान संख्या .... आवंटित की गई है। कृपया नगर निगम कानपुर में सभी आगामी पत्राचार तथा नगर निगम .... की वेबसाइट पर आपके लेखे को सक्रिय करने लिए इसका प्रयोग किया जाए।

02. आपकी नई स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकृत किया गया है–

- अधूरा आवेदन।
- दी गई गलत सूचना।
- नगर निगम में लम्बित देय।
- काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नही है।
- अन्य।

नगर

आयुक्त

नगर निगम कानपुर

01. टिप्पणी : आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
02. टिप्पणी : यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह नगर निगम द्वारा समय–समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अध्यधीन है।

ह0..............महापौर

फार्म सं0–
आवेदन मूल्य रू0–500/–

अनुबंध 3
आवेदन प्रारूप
(देखिए उपविधि 5(1), 5(2))
विज्ञापन एजेन्सियों का पंजियन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु				
जिला	शहर	वार्ड	जोन	परमिट संख्या ....
सड़क/गली/पता				फोटोग्राफ
दी गई तिथि		आवेदन संख्या		
परमिट जारी करने की तिथि		परमिट सीमा समाप्ति दिनांक		
अनुभाग–1 शुल्क (कोई भी नकद राशि ई–मेल द्वारा स्वीकार नही है)				
पंजीकरण/नवीनीकरण का विवरण ☐				
खाता नम्बर	बैंक का नाम		IFSC कोड	
खाता नम्बर		कुल आवेदन शुल्क		
अनुभाग–2 वर्गीकरण (उपयुक्त डिब्बे का चयन करें)				
किस्म क	किस्म ख	किस्म ग	किस्म घ,ड़,च तथा छ	
• बस और IPT शेल्टर ☐ • बस तथा IPT मार्ग मार्कर ☐ • शौचालय ब्लॉक ☐ • साइकिल स्टेशन ☐ • पुलिस बूथ ☐ • बैठने वाले बैंच ☐ • यातायात रुकावट ☐ • पइलोन माउंटिड साधन ☐ • मैट्रो/MRTS/FOB ☐ • सार्वजनिक परिवहन वाहन ☐	• सार्वजनिक भूमि पर OMD ☐	• होर्डिंग ☐ • यूनीपोल ☐ • भवन बोर्ड ☐ • दीवार आवरण ☐ • एल०ई०डी०/इलेक्ट्रॉनिक ☐	• अस्थायी घटना ☐ • ट्री गार्ड ☐ • स्व विज्ञापन ☐ • नवाचार ☐	
अनुभाग–3 आवेदक				
आवेदक का नाम (कृपया	निदेशकों के नाम	एक मात्र रजिस्ट्रेशन	पैन नम्बर	

ह0..............महापौर

फर्म या व्यक्तिगत का मुद्रित या टाईप नाम वांछित परमिट)	....	नम्बर	
ई–मेल पता	शहर	राज्य	कार्यालय का फोन नं॰/मोबाइल नं॰ ....
स्थायी पता	शहर	राज्य	पिन कोड ....

अनुभाग–4 सम्पत्ति

सरकारी ☐		निजी ☐		
सम्पत्ति स्वामी का नाम (व्यक्ति के नियन्त्रण में सम्पत्ति)	पता	शहर	पिन कोड	फोन नं॰ ....

अनुभाग–5 विज्ञापनपट प्रचार स्थान सूचना

क्षेत्र	स्थान : खसरा नं॰	सेक्टर नं॰ .... गली .... भू–समन्वयः– देशान्तर/अक्षाँश	सीमा चिन्ह ....

अनुभाग–6 प्रचार की विशिष्टता

अनुभाग–7 विगत वर्षो के अवशेष की स्थिति

अनुभाग–8 निर्धारित धरोहर धनराशि, एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकत बैकों की सावधि जमा रशीद (एफ0डी0आर0) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कानपुर नगर निगम के नाम बंधक होगी एवं जो रिफंडेबुल होगी, का विवरण

ऊँचाई	लम्बाई	आकार (वर्ग मीटर में) ....
सामग्री धातु ☐ लकड़ी ☐ अन्य ☐	प्रदीप्ति हाँ ☐ नही ☐	प्रचार की दिशा पूर्व ☐ पश्चिम ☐ उत्तर ☐ दक्षिण ☐

अनुभाग–9 अपेक्षित दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करे–

- निदेशक की जानकारी — अपलोड
- भवन परमिट/सम्पत्ति कर — अपलोड
- पैन नम्बर — अपलोड
- जी॰एस॰टी॰ नम्बर — अपलोड

ह0..............महापौर

- संरचनात्मक इंजीनियर सम्पत्ति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र — अपलोड
- मालिक और विज्ञापन एजेंसी के बीच अनुबंध करार — अपलोड
- विज्ञापन स्थलों के साथ सहित शहर की योजना — अपलोड
- जी॰पी॰एस॰ अवस्थिति सहित OMD का समकक्ष — अपलोड
- स्थल के फोटो (स्वामी तथा अभिकरण द्वारा हस्ताक्षरित) — अपलोड
- साइट का नज़री नक्शा (मालिक और प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित) — अपलोड
- लम्बित देय (यदि कोई हो) — अपलोड
- वास्तुशिल्पीय ड्राईंग (उत्थापन, माप मापक्रम) 1:1000 (मालिक और प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित) — अपलोड

मैं/हम, इसके द्वारा, नगर निगम द्वारा बनाई गई उप–विधियों के सभी उपबन्धों का पालन करूंगा/करेंगे। (आफलाइन प्रस्तुतिकरण के मामले में, कृपया इस प्ररूप का प्रिन्ट आउट लें तथा .... आयक्त .... का नगर निगम .... में भुगतानयोग्य के पक्ष में आयुक्त, नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें)

जमा करें ☐

टिप्पणी : यह केवल प्रतीकी (प्ररूपी) फारमैट है तथा समय–समय पर नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है। वेबसाइट से नवीनतम विवरण का हमेशा प्रयोग किया जाना है।

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर
नाम–
पता–
दूरभाष नं॰–

अनुबंध 4
(देखे उपविधि 7(4))
नगर निगम द्वारा अनुमोदन पत्र ....

संख्या .... दिनाँक ....

सेवा में,

....

....

विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नये ओ.एम.डी की स्थापना के/नवीकरण लिए आपके आवेदन संख्या..................... दिनांक............................. के संदर्भ में।

श्रीमान जी,

नगर निगम............................ में आपकी कम्पनी/ फर्म/अभिकरण द्वारा बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी की स्थापना/के नवीकरण के बारे में आपके आवेदन के सन्दर्भ में है। यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

ह0...............महापौर

01. नये मीडिया/नवीकरण के लिए आपका आवेदन..के नगर निगम की सीमाओं...जोन/वार्ड) के भीतर ....(स्थान)................................ पर (आकार)(वर्ग फुट में) ....को (दिनांक) .... से (दिनांक) .... तक बाहरी मीडिया के निर्माण/प्रदर्शन के लिए स्वीकृत किया गया है। आपको, इसके द्वारा, इस पत्र के जारी होने के सात दिन के भीतर.. रूपये की मासिक फीस जमा कराने के लिए निर्देशित किया जाता है।

02. नई ओ.एम.डी. के लिए आबंटित एकमात्र आई.डी.................................. है। नये मीडिया/नवीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकार किया जाता है :–

- अधूरा आवेदन।
- दी गई गलत सूचना।
- नगर निगम में लम्बित देय।
- काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नही है।
- अन्य।

आपका धन्यवाद।

नगर

आयुक्त

नगर निगम कानपुर

तारीख ....

उपरोक्त की प्रति श्री ———— (सम्पति का स्वामी), पता ——— की सूचना के लिए सूचित करते हुए तथा कथित करते हुए कि आप दायी होंगे यदि अभिकरण जिसके साथ आपने संविदा करार की है (प्रति सलंग्न)। उपरोक्त जारी अनुमति के दृष्टिगत नगर की ओर किन्हीं देयों के भुगतान में चूक की है और नगर निगम को कानपुर, नगर निगम अधिनियम 1994, (1994 का 16), की धारा 130 के उपबन्धों के अधीन ऐसी सम्पत्ति के कुर्की या विक्रय के रूप में चूक में राशि की वसूली करने का अधिकार होगा। आगे, उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद आप द्वारा किसी प्रकार के अप्राधिकृत प्रस्ताव में आप दायी ठहराये जाएंगे।

नगर

आयुक्त

नगर निगम कानपुर

टिप्पणी : आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
टिप्पणी : यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह समय–समय पर नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

अनुबंध 5
(देखे उपविधि 15)

ह0..............महापौर

वर्गीकरण	वर्गीकरण का प्रकार
क.	**प्रारूप वर्गीकरण क : सार्वजनिक परिवहन सेवाओं/गली फर्नीचर तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ओ.एम.डी.**
क1	बस तथा मध्यवर्ती आश्रयों का सार्वजनिक परिवहन (IPT)
क2	बस और IPT मार्ग मार्करों
क3	फुट ओवर ब्रिज, साइनेज, गैण्ट्री, शौचालय ब्लॉक और मूत्रालय
क4	साइकिल स्टेशन
क5	पुलिस बूथ, पर्किंग बूथ, टैलीफोन बूथ, पूर्व भुगतान टैक्सी बूथ, बस/रेल बुकिंग सूचना बूथ, पेयजल सुविधा, निर्देषिका/बिलों के भुगतान इत्यादि को सूकर बनाने के लिए कालोनियों के बाहर लोक उपयोगिता कियोस्क
क6	बैठने की बैंच, कचरे का डिब्बा
क7	मैट्रो/एम.आर.टी.एस.
क8	यातायात बैरीकेडिंग
क9	सार्वजनिक परिवहन वाहन
ख	**वर्गीकरण ख : सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ.एम.डी.**
ख1	सार्वजनिक भूमि पर OMD
ग	**वर्गीकरण ग : निजी भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापनपट पर OMD**
ग1	यूनीपोल, होर्डिंग, बिल बोर्ड
ग2	दीवार आवरण/दीवार चित्रकारी
ग3	विभिन्न प्रकार के OMD
घ	**वर्गीकरण घ : कार्यक्रम**
घ1	धार्मिक, राजनीतिक और सम्मेलन
घ2	मनोरंजन और प्रदर्शन कार्य(म
ड़	**वर्गीकरण ड़ : भू–दृश्य विज्ञापन**
ड़1	ट्री गार्ड
च	**वर्गीकरण च : दुकान संकेतक**
च1	स्वतः विज्ञापन
छ	**वर्गीकरण जी : अभिनव विज्ञापन**
छ1	नवाचार विज्ञापन
ज	**वर्गीकरण ज : सिनेमा विज्ञापन**
ज1	स्क्रीन विज्ञापन पर सिनेमा में, जिसमें खिसकना (स्लाईड) तथा विज्ञापन फिल्म गतिमान विज्ञापन शामिल हैं
झ	**वर्गीकरण झ : आन्तरिक वाणिज्यिक भवन और सार्वजनिक भवन**
झ1	आन्तरिक वाणिज्यिक भवन और सार्वजनिक भवन

समर्थित संरचना चमकीली (चमचमाती) रूकावट के लिए गैर–परावर्तक से परिष्कृत होगी। ओ.एम.डी संरचना को हर सभी समय भली–भांति अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ऐसे रंग से रंगा जाएगा जो आस–पड़ोस से संगत हो, तथा उसको बढ़ावा दें।

अनुबंध 6
(देखिए उपविधि 6)
मानक संविदा करार

ह0..............महापौर

यह करार आयुक्त, नगर निगम, ... जिसे, इसमें, इसके बाद प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी तथा इसमें उसके प्रथम पक्षकार के उत्तराधिकारी तथा समनुदेषिती शामिल है) के द्वारा नगर निगम, ... (लाईसेंसर) जिसका कार्यालय.................... में है, के बीच दिनांक---------को .... (शहर का नाम) में किया गया है।

तथा

इसमें, इसके बाद, द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट बाहरी मीडिया अभिकरण के रूप में नगर निगम .... से पंजीकृत अपना पंजीकृत कार्यालय................ में रखने वाली फर्म मेसर्स .... के श्री/श्रीमती, ... (स्वामी/भागीदार/निदेशक) जब तक अभिव्यक्ति संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी। इसमें द्वितीय पक्षकार के उत्तराधिकारी समनुदेशिती भी शामिल है।

चूँकि द्वितीय पक्षकार ने.............. में स्थित, श्री/श्रीमती .... द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि/भवन पर बाहरी मीडिया यन्त्र के प्रदर्शन के लिए आवेदन किया है जिसके लिए द्वितीय पक्षकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 121 तथा कानपुर नगर निगम विज्ञापन उप–विधियाँ, 2018 के उपबन्धों के अधीन होर्डिंग के निर्माण तथा प्रदर्शन के लिए अपनी सम्पति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए, आवेदन आईडी--- द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट स्वामी----- के परिसर में दिनॉक-----से---तक--अवधि के लिए प्रथम पक्षकार को आवेदन किया है, सम्पति के स्वामी के साथ द्विपक्षीय करार किया है।

इसलिए, अब, यह करार साक्षी है तथा यह इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में इसके पक्षकारों द्वारा तथा के बीच किया गया है:

01. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित कानपुर नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा कानपुर नगर निगम विज्ञापन उप–विधियाँ, 20.............. के उपबन्धों का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है तथा वचन लिया है।
02. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा तीन मास के नोटिस पर करार के समापन के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। संविदा करार के निबन्धनों तथा शर्तों की चूक की दशा में करार तुरन्त समापनीय हो जाएगा।
03. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा वचन देता है कि होर्डिंग के संनिर्माण तथा विज्ञापन का प्रदर्शन स्वामियों से सम्बधित भवन या अड़ोस–पड़ोस भवन तथा /या परिसरों की वायु, प्रकाश तथा संवातन पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा या में कोई बाधा नहीं करेगा।
04. द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वें इसमें इसके बाद हर समय नगर निगम .... तथा आयुक्त या इनमें से दोनों को किसी किस्म के जंतुओं जो उनके विरूद्ध संस्थित किए जाएं तथा दावाकृत हो, की गई किसी स्वरूप की सभी कार्यवाही, कार्यो, वाद, लागत, दावे, नुकसान, मागों से अहानिकर तथा सुरक्षित रखेंगे।
05. द्वितीय पक्षकार आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वे प्रथम पक्षकार द्वारा उनके विरूद्ध किये गये किसी दावे, वाद तथा दायित्वों के लिये दायी होंगे।
06. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगामी वर्ष के लिये वार्षिक लाईसेंस फीस अग्रिम में समय पर जमा करवाने के लिये सहमत है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम फीस भुगतान वार्षिक लाईसेंस फीस की समाप्ति से तीस दिन पूर्व जमा हो गई है, जिसमें असफल होने पर अनुज्ञा रद्द किये जाने के लिए दायी है। फीसों के जमा न करने के मामले में करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी जब्त हो जाएगी तथा लम्बित देय, यदि कोई हो, समायोजित किये जाएंगे।
07. कि द्वितीय पक्षकार समय–समय पर यथा संशोधित कानपुर नगर निगम विज्ञापन उपविधियां, 20............. की उप–विधि .... में यथा परिभाषित ओएमडी का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा। अनुपालन के मामले में, करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा उपविधियों में यथा विहित शासित फर्म पर अधिरोपित की जाएगी।
08. कि दोनों पक्षकार इसके द्वारा सहमत है कि यह करार द्वितीय पक्षकार तथा होर्डिंग के संनिर्माण तथा विज्ञापन प्रदर्षन के लिए भूमि/भवन के स्वामी के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार को असामयिक समाप्ति तथा समाप्ति पर समाप्त किया गया समझा जाएगा।
09. कि प्रथम पक्षकार तथा द्वितीय पक्षकार अभिवेदन तथा समर्थन करता है कि वे इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं।
इसके साक्ष्य में पक्षकार ने इसमें, इसके ऊपर पहले वर्णित दिन, मास तथा वर्ष को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा मोहर लगा दी है।
निम्नलिखित द्वारा दिनांक .... को हस्ताक्षरित कर दिया है, मोहर लगा दी है तथा डिलीवर कर दिया है प्रथम पक्षकार का प्रतिनिधि द्वितीय पक्षकार का प्रतिनिधि

नाम :	नाम :
पदनाम :	पदनाम :
गवाहो की उपस्थिति में हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
नाम :	नाम :
पदनाम :	पदनाम :

ह0..............महापौर

15. विज्ञापनकर्ताओं को चार वर्गो में वर्गीकरण किया गया है जो निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करेगे।

श्रेणी	विज्ञापन क्षेत्र वर्गमीटर में	पंजीकरण शुल्क	धरोहर धनराशि	नवीनीकरण धनराशि
''अ''	601 वर्गमीटर से अधिक	रू0 50.000.00 (पचास हजार)	2,00,000,00 (दो लाख रूपये)	रू030,000/– (तीसहजाररूपये),
''ब''	401 से 600 वर्गमीटर तक	रू0 30.000.00 (तीस हजार)	1,50,000,00 (एक लाख पचास हजार रूपये)	रू0 20,000/– (बीसहजाररूपये),
''स''	101 से 400 वर्गमीटर तक	रू0 20.000.00 (बीस हजार	1,00,000,00 (एक लाख रूपये)	रू0 10,000/– (दस हजार)
''द''	100 वर्गमीटर तक	रू0 15.000.00 (पन्द्रह हजार)	75,000,00 (पछत्तरहजार रूपये)	रू0 5000/– (पॉच हजार)

कानपुर नगर निगम

अनुसूची–2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन .... भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए –

प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष प्रवर श्रेणी: रू0 3200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''अ'' श्रेणी : रू0 2400/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''ब'' श्रेणी : रू0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''स'' श्रेणी : रू0 1600/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2. यूनीपोल (एक स्तम्भ)

प्रवर श्रेणी : रू0 5000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

ह0..............महापौर

"अ" श्रेणी	:	रू0 4000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"ब" श्रेणी	:	रू0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"स" श्रेणी	:	रू0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

3. विद्युत पोल/ट्री गार्ड/फ्लावर पांट/जनसुविधा पर विज्ञापन पट –

प्रवर श्रेणी	:	रू0 5000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"अ" श्रेणी	:	रू0 4000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"ब" श्रेणी	:	रू0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"स" श्रेणी	:	रू0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

4. बस सायबान(बस शेल्टर)/पुलिस बूथ/ट्राफिक आइलैण्ड/कैन्टीलीवर पोल/गैन्ट्री पोल

प्रवर श्रेणी	:	रू0 6000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"अ" श्रेणी	:	रू0 5000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"ब" श्रेणी	:	रू0 4000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"स" श्रेणी	:	रू0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5.(1). इलेक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापनपटों हेतु उपरोक्त क्रम संख्या– 01 से 04 तक निर्दिष्ट दरो पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होंगी।

(2) ट्यूबलाइट, एल०ई०डी० लाइट, सोडियम लाइट बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त क्रम संख्या– 01 से 04 तक निर्दिष्ट दरों का 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

3. निजी भूमि/भवनो पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त क्रम संख्या– 01 व 02 के निर्दिष्ट दरों का 75 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

6. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन	:	10,000/– रूपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	:	40,000/– रूपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर –

(एक)	तीन पहिया	:	रू0 300/– प्रति दिन
(दो)	चार पहिया	:	रू0 1,000/– प्रति दिन
(तीन)	छः पहिया	:	रू0 1,500/– प्रति दिन

7. पोस्टर रू0 1,000/– प्रति सैकड़ा

ह0..............महापौर

8. परचा (हैण्ड बिल) — रू0 2,000/– प्रति हजार

9. पताका (बैनर) — रू0 300/– प्रति बैनर

10.. गुब्बारे — रु0 1,000/– प्रति गुब्बारा प्रति दिन

11. छतरी (कैनोपी) — रु0 500/– प्रति छतरी (कैनोपी) प्रतिदिन

12 आटो रिक्शा (थ्री विलर) — रूपया 2,000/– प्रति वर्ष प्रति आटो

13. बसो पर — रूपया 5,000/– प्रति वर्ष प्रति बस

14. दीवारो पर वॉल राइटिंग – अनुज्ञा शुल्क की दर मद संख्या 1 के अनुसार

15. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिग जिस का भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा मे अनुसूची–2 में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के कमांक 1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।

16. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का अनुज्ञा शुल्क मद सं0–1 के अनुसार लिया जायेगा।

(क) रेडियो चैनल से उद्घोषणा द्वारा विज्ञापन दर – रु0 1.00 प्रति सेकेण्ड

17 ध्वनि विस्तारक यंत्र रु0 200/– प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन

18. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, उनका अनुज्ञा शुल्क मद–1 के अनुसार देय होगा।

19. निजी भूमि/भवन पर स्ट्रैक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रैक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण पत्र भवन स्वामी का अनुबन्धनामा, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।.

20. इस अनुसूची के निर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

21. अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

22. स्वीकृत विज्ञापन पट/यूनीपोल/गैन्ट्री/कैन्टीलीवर के लिये जोनवार अलग–अलग रंग निर्धारित करके नगर निगम स्तर से चिन्हाकन करना अनिवार्य होगा।

ह0..............महापौर

23.नगर आयुक्त को किसी भी विज्ञापन पट को भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओ के लिये अधिकृत करने का अधिकार होगा और उसके के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय न होगी।

स्पष्टीकरण :

01. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते है कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।

03. अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि बेनाझाबर से लेकर नरेन्द्र मोहन सेतु तक लगभग 50 होर्डिंग्स लगी हुई है, क्या वह सब वैध है ? नगर निगम की विज्ञापन कर नियमावली स्थगित थी, तो किस नियम के तहत विज्ञापन शुल्क वसूला जा रहा है। विज्ञापन कर की पुरानी नियमावली के स्थान पर नई नियमावली लागू किये जाने पर नगर निगम के राजस्व में कितनी वृद्धि होगी और नई नियमावली में पुरानी नियमावली के किन–किन बिन्दुओं को हटाकर उनके स्थान पर किन नये बिन्दुओं को जोड़ा गया है ?

सभापति ने पूँछा कि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगनादेश कब प्राप्त किया गया और वह कब समाप्त हुआ ? वसूली किस आधार पर की जा रही है। पूरा शहर अवैध होर्डिंग्स से पटा पड़ा है, इसके लिये जनता आरोप लगा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व नगर आयुक्त व वर्तमान नगर आयुक्त को भी निर्देश दिये थे कि सरकारी होर्डिंग्स छोड़कर समस्त अवैध होर्डिंग्स को हटवा दिया जाये। लखनऊ नगर निगम में विज्ञापन शुल्क के मद में लगभग रू0 13–15 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानपुर नगर निगम में किन कारणों से विज्ञापन शुल्क की वसूली नही हो पा रही है। नगर निगम धनाभाव के कारण महत्वपूर्ण पर्व दुर्गापूजा व रामलीला स्थलों पर विगत वर्षो की भाँति कार्य नही कराये जा पा रहे है। नगर आयुक्त जी यह दिखवा लें कि क्या गृहकर की लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की जा रही है अथवा नही ? मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यदि नगर निगम में गृहकर की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत सुनिश्चित कर ली जाये, तो कोई भी विकास कार्य अवरूद्ध नही होंगे।

उपसभापति ने कहा कि सचान गेस्ट हाउस से सी0टी0आई0 होते हुये रतनलाल नगर मोड़ तक अवैध होर्डिंग्स लगी पड़ी है, कहीं–कहीं तो यह स्थिति है कि एक साइड का विज्ञापन शुल्क लिया गया है, परन्तु होर्डिंग्स 10 स्थानों पर लगाई गई है। पूरे कानपुर महानगर में अवैध होर्डिंग्स श्री अरूण कुमार चौधरी द्वारा हटवाई जा रही है, जबकि पूर्व में जोनल अधिकारियों द्वारा अपने–अपने जोन में लगी अवैध होर्डिंग्स को हटवाया जाता था, इसका भी असर पड़ रहा है। अतः कार्य की महत्ता के दृष्टिगत दोनों अपर नगर आयुक्तों के मध्य जोनों का विभाजन करते हुये समिति के माध्यम से अवैध होर्डिंग्स हटवाते हुये वसूली सुनिश्चित की जाये।

ह0..............महापौर

श्री अरूण कुमार चौधरी, प्रभारी अधिकारी 'विज्ञापन' ने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार द्वारा जी0एस0टी0 लागू किये जाने की वजह से एकल कर व्यवस्था सुनिश्चित हुई है, जिससे विज्ञापन कर नही लिया जा सकता है ? उसके स्थान पर नगर निगम की भूमि पर लगे यूनीपोल/विज्ञापन पटों से विज्ञापन शुल्क/साइट किराया के रूप में धनराशि वसूलने हेतु नियमावली तैयार की गई है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एजेन्सियों को स्थगनादेश पारित करने पर नगर निगम की पैरवी से उसे समाप्त कराया गया, परन्तु प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि श्री अरूण कुमार चौधरी जो विज्ञापन के प्रभारी है, इन्हें चूँकि कुछ समय पूर्व ही विज्ञापन का चार्ज दिया गया है इसलिये विज्ञापन के सम्बन्ध में इनको पूरी जानकारी नही है। अतः उचित होगा कि नियमावली को स्वीकृत कर सदन को अग्रसारित कर दिया जाये तद्नुसार फिर नगर निगम एजेन्सियों से आपत्तियाँ माँग कर अग्रेत्तर कार्यवाही करायेगा।

सभापति ने कहा कि पूर्व में भी मैंने सुझाव दिया था कि यदि नगर निगम अवैध होर्डिंग्स नही हटा पा रहा है तो अवैध होर्डिंग्स हटवाये जाने हेतु टेण्डर करवा दिया जाये, परन्तु अधिकारियों ने इस पर ध्यान नही दिया। जैसा कि श्री चौधरी कह रहे है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करायेंगे, उस पर भी मुझे शंका है, क्योंकि जब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सभी भवनों से गृहकर की वसूली नही की जा पा रही है तो नगर निगम के अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी कैसे करेंगे।

नगर आयुक्त ने कहा कि क्या जोनल अधिकारियों को वैध व अवैध होर्डिंग्स के स्थल पता है। जोनल अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से यह कहकर नही बच सकते है, कि विज्ञापन कर का केन्द्रीकरण कर दिया गया है। यह जोनल अधिकारियों का ही कार्य है कि वह अवैध होर्डिंग्स को हटवायें। मा0 समिति के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह नियमावली तैयार कराई गई है, जो तत्काल लागू नही होगी। सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के माध्यम से सदन की स्वीकृतोपरान्त समाचार पत्रों में यह नियमावली प्रकाशित करते हुये आपत्तियाँ माँगी जायेंगी, उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु एक समिति बनाई जायेगी, सुनवाई के उपरान्त इसमें यथा संशोधन करते हुये इसे गजट किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया जायेगा। साथ ही महानगर से अवैध होर्डिंग्स हटवाये जाने हेतु जोन–1, 2, 3 अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' तथा जोन–4, 5, 6 अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय' को अधिकृत किया जाता है। श्री अरूण कुमार चौधरी तद्नुसार समन्वय बनाकर कानपुर महानगर से अवैध होर्डिंग्स हटवायेंगे और विज्ञापन शुल्क की वसूली सुनिश्चित करेंगे।

.... तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 36

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सीवर सफाई टैंकर से यूजर चार्ज वसूलने हेतु उप–विधि का प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित।

ह0..............महापौर

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 (42) के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर सीमा के अन्तर्गत स्थित सीवर टैको की सफाई व उससे निकलने वाले दूषित जल व मल का निस्तारण हेतु प्रयोग में आने वाले सीवर सफाई टैंकर से यूजर चार्ज वसूलने हेतु उप–विधि

प्रस्तावित की है जो नगर निगम के सीमार्न्तगत क्षेत्र में सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

सीवर सफाई टैंकरो से यूजर चार्ज लिये जाने हेतु उप–विधि

1. यह उप–विधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषा :–

(1) नगर निगमः– नगर निगम का तात्पर्य नगर निगम, कानपुर से है।

(2) यूजर चार्जेज क्षेत्रः– यूजर चार्जेज क्षेत्र से तात्पर्य नगर निगम, कानपुर की सीमा व भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी ।

(3) नगर आयुक्तः–नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम कानपुर के नगर आयुक्त से है।

(4) प्राधिकृत अधिकारीः–प्राधिकृत अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम कानपुर के उन अधिकारियों से है जिन्हे नगर आयुक्त समय–समय पर इन उप विधियों के अर्न्तगत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करें।

(5) यूजर चार्ज शुल्कः– यूजर चार्ज का तात्पर्य उस चार्ज से है जो नगर निगम की सीमा में नगर आयुक्त अथवा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अर्न्तगत नगर निगम की किन्ही सेवाओं /संसाधनो के प्रयोग के बदले वसूल किया जायेगा।

(6) यूजर चार्ज इस शुल्क उप–विधि के नियम–10 के अर्न्तगत दर्शायी गयी तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार वसूल किया जायेगा

(7) यूजर चार्ज नगर निगम के कर्मचारी या इस कार्य हेतु निर्धारित एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा। बिना रसीद के कोई शुल्क प्राप्त नही किया जायेगा। रसीद में दिनांक, मास व वर्ष एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख होगा। शुल्क भुगतान– कर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह रसीद अपने पास सुरक्षित रखे और नगर निगम के पदाधिकारियों एवं अधिकार प्राप्त कर्मचारियों के मॉगने पर तुरन्त प्रस्तुत करें । ऐसे अधिकारी निरीक्षण के उपरान्त रसीद वापस कर देगें । निगम के कर्मचारी द्वारा लिया गया शुल्क अगले कार्य दिवस (अर्थात 24 घन्टे के अन्दर) में प्रत्येक दशा में निगम कोष में जमा किया जायेगा । जिसकी जॉच समय–समय पर नगर आयुक्त एवं उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा लेखाधिकारी द्वारा की जायेगी ।

(8) यूजर चार्जेस, सीवर टैक के दूषित जल व मल के शोधन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले सीवर सफाई टैकरो के प्रयोग व उसका निस्तारण नगर निगम द्वारा निर्धारित एस0टी0पी0 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) स्थल पर किये जाने के लिये वसूल किया जायेगा।

(9) यूजर चार्जेस भुगतान न करने की दशा में नगर आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस उप–विधि में वर्णित की गयी दरों के अतिरिक्त 20 (बीस) गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउडिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा ।

(10) सफाई सीवर टैकर प्रयोग करने के लिये निर्धारत यूजर चार्ज

क0	पंजीकरण एवं नवीनी	सीवर टैंक के भवन	निजी सीवर सफाई टैकर	निस्तारण स्थल

ह0..............महापौर

सं0	करण शुल्क	स्वामी से लिये जाने वाली धनराशि	स्वामी से लिये जाने वाली धनराशि	
	1000 रू0 प्रतिवर्ष	600 रू0 प्रति टैकर	3500 रू0 प्रति सफाई सीवर टैकर प्रति माह	नगर निगम द्वारा निर्धारित एस0टी0पी0स्थल

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर निगम निश्चित करती है कि इस उप–विधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा, जो रूपया 500/– (पॉच सौ) तक हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थ दण्ड भी देय होगा जो सर्व प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या नगर आयुक्त अथवा निगम के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये लिखित नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, तो रूपया 1000/– (एक हजार) प्रतिदिन अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।

उप–विधि से सम्बंधित दिशा निर्देश

सीवर सफाई टैंकर पर कार्यरत ड्राइवर व हेल्पर को जनसुरक्षा सम्बन्धी उपकरण दस्ताने, मास्क, टूल आदि तथा परिचय पत्र पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर सहित रखना होगा । यदि इसका उल्लंघन करते हुये कोई पाया जाता है, तो उसे प्रस्तावित शास्ति के अनुसार दण्ड वसूला जायेगा ।

01– नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त यदि अन्य स्थल पर टैंकर खाली करते पाये जाने पर टैंकर स्वामी से अर्थ दण्ड वसूला जायेगा ।

02– सीवरेज ट्रीटमेन्ट में खाली करने वाले टैंकर स्वामी, चालक, हेल्पर व टैंकर का लेखा जोखा रखना अनिवार्य होगा । इसके साथ–साथ प्रत्येक टैंकर चलाक लॉक–बुक का रखरखाव भी सुनिश्चित करना होगा तथा प्रत्येक टैंकर पर मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा ।

03– नगर निगम द्वारा दिनांक 19.11.2017 को समाचार पत्रों के माध्यम से मा0 एन0 जी0 टी0 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सुनिश्चित करने हेतु सरकारी/निजी सीवर सफाई टैंकर स्वामियों को संसूचित किया जा चुका है । इसका तद्नुसार अनुपालन सम्बंधित को करना होगा ।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0..............महापौर

प्रस्ताव संख्या 37

उ0प्र0 नगर निगम, अधिनियम–1959 की धारा–172(ग) में हैलीपैडों ,इवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों पर भी कर लगाये जाने सम्बन्धित निम्नलिखित प्रावधान किये गये है :–

"हैलीकाप्टरों, अथवा अन्य प्रकार के यानों, जब वे निगम के भीतर स्थित हैलीपैडों, हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों या इस निमित्त निर्मित स्थलो पर उतरते हैं, अथवा उडान भरते हो । इस प्रकार अधिरोपित कर का भुगतान,यथा स्थिति विमान पत्तन प्राधिकरण अथवा हवाई अड्डों, हवाई पट्टी ,हैलीपैड या स्थल का रखरखाव, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों या प्रबन्धक या निदेशक या संस्था या विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।,"

वर्तमान समय में उ0प्र0 में नगर निगम लखनऊ द्वारा मा0 सदन की सामान्य बैठक की कार्यसूची द्वारा दिनांक–11.08.18 द्वारा हैलीपैडो,हवाई अड्डो एवं हवाई पट्टियों पर उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–172 (ग) के तहत कर लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है। वर्तमान समय में नगर निगम लखनऊ की भॉति नगर निगम,कानपुर को अधिनियम में प्रदत्त इस धारा का लाभ नही मिल पा रहा है , जबकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार की निरंतर यह मंशा रही है कि शहरी नगर निकाय यथा नगर निगम की आय में निरन्तर नये–नये श्रोत पैदा कर शहरी नागर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ बना सके। ऐसे में यह यथा उचित होगा कि, नगर निगम,लखनऊ की भॉति नगर निगम,कानपुर में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–172(ग) के तहत् नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित हैलीपैडों ,हवाई अड्डों व हवाई पट्टियों पर प्रतिव्यक्ति रू0–100/–एवं चार्टड विमान ,हैलिकाप्टर इत्यादि के प्रति उड़ान पर 3000/–की दर से कर अधिरोपित करनें सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है । मा0 नगर निगम कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात हैलीपैडो, हवाई अड्डो एवं हवाई पट्टियों पर अधिरोपित किये जाने वाले कर सम्बन्धित प्रस्ताव एवं नियमावली के प्राख्यापन हेतु प्रस्ताव नगर विकास उ0प्र0 सरकार को भेजा जाना उचित होगा , जिससे भविष्य में उ0प्र0 में स्थित नगर निगमों की आर्थिक स्थिति सुदृढ होने में सहायक हो सकेगा।

.... **तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0..............महापौर

प्रस्ताव संख्या 38

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित ऐसे विद्यालयों जो उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177(ग) के तहत कर मुक्ति की श्रेणी में आते हैं। उन संस्थानो द्वारा भी बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कृत्य जैसे विद्यालय परिसर में शादी विवाह एवं सामाजिक संस्कृति समारोहो का आयोजन ,विद्यालय के छत पर टेलीफोन टावरों की स्थापना एव विद्यालय परिसर में बैंको का संचालन व कोचिंग कालेज का भी संचालन किया जा रहा है , परन्तु इन संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार के व्यवसायिक कर का भुगतान नही किया जा रहा है, जिससे प्रति वर्ष लाखों रूपये के राजस्व की क्षति नगर निगम को हो रही है।

वर्तमान समय में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–177(ग) के तहत कर मुक्ति की श्रेणी में आते हैं, जबकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार की निरन्तर यह मंशा रही है कि शहरी नगर निकाय यथा नगर निगम की आय में निरन्तर नये–नये श्रोत पैदा कर शहरी नागर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ बना सके । ऐसे में यह यथा उचित होगा कि नगर निगम कानपुर द्वारा ऐसे भवनों को चिन्हाकिंत करते हुए व्यवसायिक तौर पर प्रयोग किये जाने वाले भू–भाग का कर निर्धारण करते हुए कर अधिरोपित करने सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

सभापति ने कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं से मनमानी फीस ली जा रही है और उनके द्वारा नगर निगम के फुटपाथों इत्यादि सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है, उन पर नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगर आयुक्त ने कहा कि शिक्षणेत्तर विद्यालयों को शासन द्वारा सिर्फ शिक्षण कार्य करने पर गृहकर में छूट प्रदान की गई थी, परन्तु इस समय कुछ विद्यालयों द्वारा व्यवसायिक प्रयोग यथा– शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु लॉन आवंटित करना तथा विद्यालय के अन्दर निजी कम्पनियों के टावर लगवा कर लाभार्जन किया जा रहा है। व्यवसायिक प्रयोग कर रहे विद्यालयों पर नगर निगम द्वारा टैक्स लगाये जाने का प्राविधान किया गया है, तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 39

कानपुर नगर निगम द्वारा शासन के पत्र सं0 05/2017/4651/ नौ–8–2017–21ज/2016 दिनांक 20.09.2017 के क्रम में कान्हा गौशाला बनाये जाने हेतु, प्योंदी गॉव में स्थित शेखपुर बगिया, जाजमऊ में नगर निगम की सीवरेज फार्म की 03 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए 774 लाख की डी0पी0आर0 शासन में स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा 722.68 लाख की कार्य योजना इस शर्त के साथ

स्वीकृति की गयी कि वहॉ 1500 से 2000 पशुओं की गौशाला बनायी जाये। उपरोक्त भूमि पर केवल 500 पशुओं की गौशाला प्रस्तावित थी और उससे ज्यादा की गौशाला वहॉ भूमि कम होने के कारण बनायी नहीं जा सकती थी। 2000 पशुओं की गौशाला बनाये जाने हेतु, जाना गॉव की सीवरेज यूटिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत अर्जित भूमि में से 25 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है, जिस पर कान्हा गौशाला बनाया जाने सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

.... **तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या 40

कानपुर नगर निगम द्वारा शासन के पत्र सं0 4808/9–8–2017 दिनांक 10.10.2017, जिसमें एनीमल बर्थ कन्ट्रोल रूल 2001 के अनुसार आवारा कुत्तों की संख्या वृद्धि के प्रबन्धन रैबीज उन्मूलन एवं मानव कुत्तों के संघर्ष आदि में कमी लाने के लिए ए0बी0सी0 कैम्पस के निर्माण हेतु, प्रस्ताव की मांग की गयी है। उक्त ए0बी0सी0 कैम्पस के निर्माण हेतु शासन द्वारा आवश्यक धनराशि जारी की जायेगी। उपर्युक्त के क्रम में ए0बी0सी0 कैम्पस बनाये जाने हेतु, प्योंदी गॉव में स्थित शेखपुर बगिया, जाजमऊ में नगर निगम की सीवरेज फार्म की 03 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। उक्त भूमि पर कुत्तो में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम स्थल बनाये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या 41

कृपया शासनादेश सं0–161/सी0एम0/नौ–9–97–23ज/97 नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक–16.12.97 तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद शनिवार 18 मार्च, 1999 की (फागुन) 22, 1920 शकसम्वत के अनुसार नगर निगम, कानपुर सीमान्तर्गत संचालित नर्सिंगहोम, प्रसूति गृह, प्राइवेट अस्पताल, पैथलौजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक जो वर्तमान समय में संचालित प्रतिष्ठानों से लाईसेन्स शुल्क वसूली की निर्धारित की जा रही है।

उक्त संबन्ध में नगर निगम की आय में बढोत्तरी किये जाने हेतु लाईसेन्स शुल्क की दरों में वृद्धि के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून के पश्चात लाईसेन्स हेतु आवेदन करने पर रू0–1000/– अर्थदण्ड प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में शासन की निर्धारित दरें नगर निगम द्वारा निर्धारित दरें तथा प्रस्तावित दरों का विवरण निम्नवत है:–

नगर निगम द्वारा वर्तमान में विभिन्न मदों में लाइसेन्स	नगर निगम द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में लागू)	नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मदवार दर	प्रस्तावित दर

ह0.............महापौर

प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम–प्रसूति गृह (20 बेड तक) नर्सिंग होम 20 बेड ऊपर प्रसूति गृह 20 बेड तक प्रसूति गृह 20 बेड के ऊपर	 2000.00 4000.00 4000.00 5000.00	प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम–प्रसूति गृह (50 बेड तक) नर्सिंग होम 50 से 100बेड तक प्रसूति गृह 100 बेड से 250 बेड तक प्रसूति गृह 200 बेड से 250 बेड तक	 7500.00 15000.00 20000.00 35000.00
प्राइवेट अस्पताल पैथोलौजी लैब एक्सरे, क्लीनिक डेन्टल क्लीनिक प्राइवेट क्लीनिक	5000.00 1000.00 2000.00 4000.00 1000.00 से 3000 तक	प्राइवेट अस्पताल पैथोलौजी लैब डैग्नोस्टिक सेन्टर, पैथलौजी, एक्सरे, क्लीनिक एलो0/डेन्टल क्लीनिक प्राइवेट क्लीनिक ब्लडबैक सेन्टर आर्युवेदिक/यूनानी/होम्यो क्लीनिक आदि	10000.00 5000.00 10000.00 5000.00 10000.00 4000.00

नगर निगम की आय में बढोत्तरी किये जाने हेतु लाईसेन्स शुल्क की दरों में वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें मा0 नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

.... **तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0..............महापौर

प्रस्ताव संख्या 42

कृपया कानपुर नगर निगम, कानपुर के सीमान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर संचालित प्रेक्षागृहों से नगर निगम अधिनियम की धारा–172 की उप धारा (2) (झ) के अन्तर्गत विभिन्न प्रेक्षागृहों से प्रतिशो रू0–20 की दर से शो टैक्स कई वर्षो से जमा कराया जा रहा है। अवगत कराना है कि गत कई वर्षो से शो टैक्स के रूप में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

वर्तमान समय में विभिन्न मॉल द्वारा मल्टी प्लैक्स संचालित किये जा रहे है जिसमें प्रति टिकट मूल्य लगभग रू0–150 से 450 तक है। वर्तमान समय में मल्टी प्लैक्स एवं अन्य प्रेक्षागृहों में टिकट के शुल्कों में भी काफी वृद्धि हो गयी है, परन्तु शौटैक्स की दरें काफी कम है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में शौटैक्स की धनराशि में कार्यहित एवं नगर निगम वित्तीय हित में वृद्धि निम्नवत करने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

1–	मल्टी प्लैक्स कॉप्लैक्स प्रति शो	600 रूपये
2–	वातानुकूलित सिनेमा घर प्रति शो	300 रूपये
3–	साधारण सिनेमाघर प्रति शो	100 रूपये

.... **तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या 43

फजलगंज ,गडरियनपुरवा,कबाड़ी मार्केट,कोका कोला चौराहा अवैध ट्रॉस्पोर्ट नगर बन गया है वहाँ पर बसें व ट्रक खड़े किये जा रहे है, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है तथा गन्दगी भी बनी रहती है। अतः उनसे यूजर चार्ज लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0..............महापौर

प्रस्ताव संख्या 44

विषय :—कानपुर नगर स्थित 06 अविकसित मलिन बस्तियों के सर्वांगीण विकास किये जाने के सम्बन्ध में रू0 699.91 लाख की धनराशि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत (रिवॉल्विंग फण्ड) ब्याज रहित ऋण के रूप में लिये जाने विषयक मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर की कुल 412 मलिन बस्तियों में से दिये गये निर्देश के अनुक्रम में 06 मलिन बस्तियों (सरसैयाघाट, कृष्णा नगर स्थित सहदुल्लापुर मलिन बस्ती, गोवर्धनपुरवा, 9/50 नयापुरवा, संजय नगर एवं अम्बेडकर नगर) को सर्वांगीण विकास हेतु चयनित किया गया है। चयनित मलिन बस्तियों के विकास कराये जाने से लगभग 22000 निवासी लाभान्वित होंगे। इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त डी0पी0आर0 धनांक रू0 699.91 लाख का तैयार कराया गया है जिसपर व्यय होने वाली प्रस्तावित धनराशि को नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण प्रस्तावित धनराशि को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत (रिवॉल्विंग फण्ड) कराया जाना अपेक्षित होगा। इस हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में लिया जाना वांछित है, जिसकी स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन से प्राप्त की जानी है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि रिवॉल्विंग फण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में निकाय अंशों की धनराशि की कटौती राज्य वित्त आयोग के प्राप्त होने वाली धनराशि से की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासन को यह भी अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय कि उक्त ऋण की अदायगी, कम वार्षिक प्रीमियम के साथ अधिक वर्षों में की जाय ताकि काटी गयी धनराशि का अधिक प्रभाव न पडे।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुये चयनित 06 मलिन बस्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत (रिवॉल्विंग फण्ड) ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 45

कृपया अवगत कराना है शासनादेश सं0–161/सी0एम0/नौ–9–97–23/97 नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक–16.12.97 तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शनिवार 18 मार्च 1999 ई0 (फाल्गुन 23, 1920 शक संवत) के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक तथा होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 सैय्या से अधिक प्रति सैय्या तक व

ह0..............महापौर

तीन सितारा होटल, 05 सितारा होटल, जलपान गृह रेस्टोरेन्ट ईटिंग हाउस, कोल्डड्रिंक/आईस्क्रीम (एरिएटेड वाटर, आटा चक्की, बार चलाने हेतु पॉच स्टार होटल थ्री स्टार होटल एवं नगर निगम बायलोज, लाइसेन्स 05 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 15 हार्स पावर, 20 हार्स पावर से ऊपर की निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क वसूली के निर्देश प्राप्त हुए तत्पश्चात नगर निगम द्वारा उल्लिखित संचालित प्रतिष्ठानों से वर्ष 2010 में दरें संशोधित की गई जो वर्तमान में लागू है।

उक्त के सम्बन्ध में नगर निगम की आय में बढोत्तरी किये जाने हेतु लाइसेन्स शुल्क की दरों में वृद्धि के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून के पश्चात लाइसेन्स हेतुं आवेदन पर देशी शराब/बीयर शाप रू0–2000/– विदेशी शराब रू0–4000/– तथा माडल शाप पर रू0–6000/– पर अर्थ दण्ड शुल्क जुर्माना वसूल किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में शासन का निर्धारित दरें एवं नगर निगम की प्रचलित दर वर्तमान में लागू निर्धारित दरों तथ वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरों का विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	उपविधि/व्यवसाय का नाम	प्रचलित दर वर्तमान में लागू	वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें
1	होटल गेस्ट हाउस (20 बेड तक)	1000.00	5000.00
2	होटल गेस्ट हाउस (20 बेड से अधिक)	रू0–150/– प्रति बेड	8000.00
3	जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, ईटिंग हाउस	1000.00	2000.00
4	कोल्डड्रिक/आईस्क्रीम, एरिएटेर्ड वाटर	500.00	1000.00
5	आइसक्रीम फैक्ट्री	1000.00	1500.00
6	बर्फ निर्माण फैक्ट्री	2000.00	2500.00
7	आटा चक्की	500.00	1000.00
8	बार चलाने हेतु	15000.00	18000.00
9	पॉच स्टार होटल	25000.00	40000.00
10	थ्री स्टार होटल	20000.00	30000.00
11	देशी शराब प्रति दुकान	6000.00	25000.00
12	विदेशी शराब प्रति दुकान	12000.00	55000.00
13	मॉडल शौप	....	60000.00

नगर निगम की आय में बढौत्तरी किये जाने हेतु लाइसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें मा0 नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है तथा उक्त मद में वसूली कार्यवाही सम्बन्धित जोनल अधिकारी द्वारा की जायेगी।

.... **तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0..............महापौर

प्रस्ताव संख्या 46

विषयः– स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर का निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की योजना स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कानपुर नगर स्मार्ट सिटी योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है, जिसके अन्तर्गत पी0एम0सी0 का चयन भी भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत भवन के तृतीय स्थल पर पी0एम0सी0 आफिस, मीटिगं हाल व स्मार्ट सिटी से सम्बन्धित कार्यों हेतु आने वाले आगन्तुकों के बैठने के लिये आगन्तुक कक्ष तथा चतुर्थ तल पर कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस कार्य पर व्यय की जाने वाली धनराशि का वहन स्मार्ट सिटी योजना में उपलब्ध धनराशि से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति से वांछित है। उक्त कार्य की निविदायें भी आमन्त्रित की जा चुकी है।

अतः योजना हित में उक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णयार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

सभापति ने कहा कि कल दिनांक 07.10.2018 को सम्पन्न हुई स्मार्ट सिटी की बैठक में आप द्वारा बाहरी लोगों को कैसे बुलाया गया, अवगत कराये।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2015 में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था, तद्नुक्रम में ही वर्ष 2016 में भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जन सहभागिता के साथ एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाना था, जिसमें जिलाधिकारी, सांसद, विधायक, एन.जी.ओ., यूथ स्लम एरिया वेलफेयर एसोसियेशन एवं महापौर को नामित किया गया था। इस समिति को पदनाम से ही गठित किया गया था न कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से। रू0 20 करोड़ की धनराशि नगर निगम मुख्यालय की चौथी मंजिल पर कमाण्ड सेन्टर बनाया जायेगा, जिसमें 120 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था की जायेगी। इस कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से पूरे शहर की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जी0एस0टी0 सहित रू0 380.00 करोड़ का है। चूँकि वर्ष 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया जाना है तद्नुसार ही तद्नुसार ही बैठक आहूत की गई थी।
स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।
.... **तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0..............महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या 47</u>

सादर अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेष शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.06.2018 के क्रम में विषेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10.09.2018 10.09.2018 द्वारा मा0 सांसद, लोकसभा, अकबरपुर कानपुर क्षेत्र श्री देवेन्द्र सिंह भोले ने विभिन्न 64 सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत धनराषि ब्याज रहित ऋण के रूप में तात्कालिक आवष्यकता के दृष्टिगत उनकी माँग पर उपलबध कराने हेतु पत्र में वर्णित कार्यो में से 10.00 करोड़ के कार्यों का वित्त पोषण उक्त योजना से किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि रिवॉल्विंग फण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न योजनाओ में निकाय अंशों की धनराषि की कटौती राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम को प्राप्त होने वाली धनराषि से की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासन को यह भी अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाये कि उक्त ऋण की अदायगी, कम वार्षिक प्रिमियम के साथ अधिक वर्षो में की जाय ताकि काटी गयी धनराषि का अधिक प्रभाव न पड़े।

अतः उपरोक्तानुसार मा0 संसद सदस्य, लोकसभा अकबरपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी/सदन के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।
.... **नगर निगम राजस्व हित के दृष्टिगत किसी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

<u>प्रस्ताव संख्या 48</u>

कृपया नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) के पत्र संख्या– 90/एम0डी0/18–19 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2018–19 के पारित बजट में लेखा शीर्षक 2102002 चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख में से 46.05 लाख व्यय हो चुका है। मात्र रू0 03.95 लाख धनराशि अवशेष है, वर्ष 2018–19 में 07 माह शेष है और विभाग में 35.00 लाख की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावा लम्बित है, के क्रम में रू0 70.00 लाख बजट में बढ़ाने की माँग की गई है। इसीप्रकार जनसम्पर्क अधिकारी के पत्र संख्या डी/25/पी0आर0ओ0 दिनांक–04.09.2018 के द्वारा मद शीर्षक 2206002 विज्ञापन प्रकाशन (Advertisement) में प्राविधानित धनराशि रू0 80.00 लाख पूर्ण रूप से व्यय हो चुका है तथा वर्तमान वित्तयी वर्ष 2018–19 में रू0 60.00 लाख की पत्रावलियाँ भुगतान हेतु लम्बित है। उक्त मद में रू0 60.00 लाख बजट बढ़ाये जाने की माँग की गई है।

ह0..............महापौर

उपरोक्तानुसार नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) व जनसम्पर्क अधिकारी के प्रस्तातिव माँग के क्रम में अवगत कराना है कि **नगर निगम अधिनियम–1959 के प्रस्तर 149(3) में पुनर्विनियोग की व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है कि बजट के एक मद से दूसरे मद में अथवा एक ही मद के भीतर धनराशियों का स्थानान्तरण कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी।** वर्ष 2018–19 के पारित बजट में राजस्व व्यय के अन्तर्गत लेखा शीर्षद 2201102 कार्यालय अनुरक्षण पानी/सीवर में रू0 500.00 लाख प्राविधानित है, जिसमें से रू0 100.00 लाख घटाते हुये लेखा शीर्षक 2102002 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू0 40.00 लाख व लेखा शीर्षक 2206002 विज्ञापन प्रकाशन में रू0 60.00 लाख की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है, पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19 में उपरोक्त मद में व्यय प्रस्तावित कर समायोजित कर लिया जायेगा।

कृपया मा0 कार्यकारिणी समिति को अनुमोदन एवं स्वीकृत प्रदान करने हेतु।

वर्ष 2018–19 के पारित बजट में राजस्व व्यय के अन्तर्गत लेखा शीर्षद 2201102 कार्यालय अनुरक्षण पानी/सीवर में रू0 500.00 लाख प्राविधानित है, जिसमें से रू0 100.00 लाख घटाते हुये लेखा शीर्षक 2102002 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू0 40.00 लाख व लेखा शीर्षक 2206002 विज्ञापन प्रकाशन में रू0 60.00 लाख की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है, पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19 में उपरोक्त मद में व्यय प्रस्तावित कर समायोजित कर लिया जायेगा, को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या 49

श्रीमती नमिता मिश्रा,भा0ज0प0 पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– माननीय अटल जी की कविताओं व जीवनी को छात्रो के पाठय–पुस्तक में शामिल करने हेतु।

जैसा कि पूर्व में विदित है कि भारत देश के महान नेता व सबके प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी 16 Aug 2018 को निधन हो गया था जिन्होने निस्वार्थ रूप से देश की सेवा का व्रत लेकर अपना सम्पूर्ण जीवन सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिये दे दिया।साहित्य जगत में उनकी पहचान एक कुशल सम्पादक व राष्ट्रकति के रूप में है।

अतः मेरा आप से अनुरोध है कि मा0 अटल जी की साहित्यिक रचनाओं को हिन्दी की पाठय पुस्तको में संकलित किया जाये जिससे हमारी भविष्य की पीढ़िया उनके जैसा बनने का प्रयास कर सके। वे हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की बात करते थे। अतः उनसे प्रेरणा लेकर हमारी आगे की पीढ़िया राष्ट्रवादी बन सके।

महोदया इस सदन मे इसको पारित करके शासन में भेजने की कृपा करे।

.... **तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या 50

विषय :— पनकी स्थित भाटिया चौराहा से कल्यानपुर रोड का नामकरण स्व0 श्रद्वेय अटल बिहार बाजपेयी के नाम से एवं भाटिया तिराहे से पनकी मंन्दिर जाने वाले मार्ग के मुख्यद्वार पर अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति द्वार बनवाये जाने हेतु माँगपत्र,

हम प्रार्थीगण पनकी, कल्यानपुर क्षेत्र के निवासीगण है जो पेशे से अधिवक्ता है जिनका प्रतिनिधित्व इस पत्र में पं0 चन्द्रमोहन मिश्रा एडवोकेट कर रहे है।

चूँकि भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री, श्रद्वेय अटल बिहारी बाजपेयी जी जो विधिस्नातक थे, कविह्रदय थे तथा आमजनमानस के दिलों में राज करने वाले थे, उनका कानपुर से पुराना नाता रहा और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कानपुर में बिताया था दुर्भाग्य से उनका देहावसान गत दिनांक 16.08.2018 दिन बृहस्पतिवार को हो गया तथा अन्तिम संस्कार दिनांक 17.08.2018 को हुआ उक्त घटना से हम सभी प्रार्थीगण शोकाकुल है चूँकि श्रद्वेय अटल बिहारी बाजपेयी का जीवन आमजनमानस के लिये सदैव प्रेरणादायी रहा तथा उनकी स्मृतियों को कानपुर में बसाने, सजाने,सवारने की जिम्मेदारी की अहम जिम्मेदारी हम अधिवक्तागणो की है हम अधिवक्तागणों ने उनकी मृत्यु के उपरांत एक शोक/श्रृदांजलि सभा का आयोजन पं0 चन्द्रमोहन मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया उक्त आयोजन में तमाम अधिवक्तागणों ने अपने विचार व श्रद्वेय से जुड़े संस्मरण बताये अपने उदबोधन के दौरान आयोजक पं0 चन्द्रमोहन मिश्रा जी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें **भाटिया तिराहे से पनकी कल्यानपुर क्रांसिग तक रोड का नामकरण " स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी मार्ग"** रखा जाये । उक्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी अधिवक्तागणों ने एक स्वर से सहमति जताई। उदबोधन के दौरान दि लायर्स एसोसियेशन के पूर्व महामंत्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दूसरा प्रस्ताव

ह0..............महापौर

रखा की भाटिया तिराहे से पनकी मंन्दिर जाने वाले मार्ग के मुख्य द्वार पर एक विशाल द्वार सरकारी निधि से बनवाया जाये जिसका नामरण " **अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति द्वार** " रखा जाये । उक्त प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। उक्त दोनों प्रस्तावों की एक प्रति शोकसंवेदना पत्र के साथ मा0 प्रधानमंत्री जी, व एक प्रति स्व0 अटल बिहारी जी के परिवार को प्रेषित की गयी।

हम समस्त अधिवक्तागण इस पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध करते है कि आप हम अधिवक्तागणों के उपरोक्त दोनो प्रस्तावो को अपने सदन में रखकर पास कराकर उनके निर्माण में आने वाली लागत सुनिश्चित कराकर अविलंम्ब टेण्डर कराकर निर्माण/नामकरण प्रक्रिया को प्रारम्भ कराकर श्रद्वेय अटल बिहारी बाजपेयी जी के चरणों में अपनी श्रृद्वाजलि समर्पित कर हम अधिवक्तागणों की भावनाओं का सम्मान करेगें। ऐसा हम अधिवक्तागणों को पूर्ण विश्वास है। स्वीकृति की जानकारी की प्रतिक्षा में

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या 51

श्री अशोक पाल पार्षद,वार्ड–36 एंव 03 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– नया पुल का नाम पूर्व प्रधानमन्त्री अटल विहारी पुल का नामकरण किया जाय।

ये नया पुल दक्षिण की ओर वहुत ही पुराना पुल है क्योकि उत्तर से दक्षिण की ओर एक मात्र पुल जाता है और जिले के रूप मे है जिससे लाखो लोग रहते।

अतः विचार करते हुए इसे अटल पुल के नाम से किया जाय।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या 52

श्री गुरू सिहं सभा ,कानपुर महानगर (रजि0) के श्री कुलदीप सिंह–पूर्व एम0एल0सी0,श्री त्रिलोचन सिहं सलूजा एंव 04 अन्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

ह0..............महापौर

संदर्भ : <u>मा0 कार्यकारिणी समिति नगर निगम,कानपुर द्वारा पारित प्रस्ताव में लिपिक त्रुटियों को ठीक करने के सम्बन्ध में स्मरण पत्र</u>

<u>जिससे गुमटी नं0 5 को गुरू तेग बहादर नगर से जाना जा सके।</u>

इसके पूर्व महापौर कार्यालय नगर आयुक्त कार्यालय ,महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय एवं मुख्य मंत्री कार्यालय में उक्त त्रुटियों को दुरूस्त करने हेतु कई पत्र दिये जा चुके है पर परिणाम के नाम पर शून्यता हाथ लगी है।

माननीय महापौर जी आज हमारा प्रतिनिधि मंडल आपके पास इस उम्मीद के साथ आया है कि आप अपने विभाग को उक्त प्रस्ताव की त्रुटियों को दूर करने को दिशा निर्देश देंगे।

कृपया कार्यालय पत्र सं0–डी/06/सचिव (नगर निगम)/17–18 दिनांक 12.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें नगर निगम कानपुर से माननीय कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 30.03.2017 में पारित टेबिल प्रस्ताव संख्या –1932 जो मा0 कार्यकारिणी समिति समक्ष गुमटी नं0 5 का नाम बदलकर"**गुरू तेग बहादर नगर**" किये जाने का था , उक्त प्रस्ताव को पारित करने में त्रुटिवश दो शब्दों का फेर हो गया है।

मूल प्रस्ताव श्री गुरू सिहं सभा ,कानपुर महानगर (रजि0) द्वारा प्रेषित किया गया था ,जिसे 4 दिसम्बर 2016 को श्री गुरू तेग बहादर साहब का शहीदी पर्व मानते हुये मोतीझील प्रांगण में 2 लाख सिखों के विशाल जनसमूह में पारित किया गया था कि "सिख बाहुल क्षेत्र गुमटी नं0 5 का नाम बदलकर गुरू तेग बहादर नगर किया जावे"।

.... उपरोक्तानुसार गुमटी नं0–5 का नाम बदलकर "गुरू तेग बहादर नगर" किये जाने हेतु विधिक/विहित नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0..............महापौर

टेबुल प्रस्ताव संख्या 53 अधिशाषी अभियन्ता जोन-5 एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

श्री गुरूसिंह सभा कानपुर महानगर के संयुक्त हस्ताक्षर सहित प्राप्त पत्र जो कि जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित है, जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित है, जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 113/एस.टी./2016 दिनांक दिसम्बर-31, 2016 एवं जनसुनवाई सन्दर्भ संख्या 11164160160739 तथा दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 16-12-2016 के अनुसार गुमटी मार्ग का नाम बदलकर गुरू तेग बहादुर सिंह के नाम किया जाना है।

उक्तानुसार मा० कार्यकारिणी समिति (नामकरण) के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है। वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, कार्यवाही आदर्श चुनाव आचार संहिता के उपरान्त किया जायेगा।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0..............
(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर / अध्यक्ष